

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-41

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

राज्यों को विद्युत आवंटन

*41. श्री राम मोहन नायडू कृजरापुः

श्री शिवकुमार उदासिः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विद्युत आवंटन करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किया गया विद्युत आवंटन उनकी आवश्यकता/मांग से अत्यधिक कम है;
- (ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विद्युत की मांग और आवंटन का ब्यौरा क्या है और मांग और आवंटन में अंतर के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके आवंटित हिस्से से अधिक अतिरिक्त विद्युत का आवंटन किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ङ) चालू वर्ष और आने वाले वर्षों में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को विद्युत के आबंटन के लिए मानकों/दिशा-निर्देशों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) : देश में केंद्रीय उत्पादक केंद्रों (सीजीएस) से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और किसी भी समय विशेष में समय क्षमता पूर्णतया आबंटित रहती है। विद्युत एक समवर्ती विषय है और इसके नाते किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केवल केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र तथा पारेषण प्रणालियां स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 तक) के दौरान देश में सीजीएस से आबंटित और व्यस्ततम मांग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(घ) : जी, हां। प्राप्त अनुरोध और की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(ड) : सरकार द्वारा विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित)। इसकी तुलना में, 09.02.2015 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 52,738 मेगावाट और 31.01.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 9,120 मेगावाट प्राप्त कर ली गई है।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना। इसकी तुलना में, जनवरी, 2015 तक 50,503 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 1,64,924 एमवीए की ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।
- (iii) थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों को घटाने के लिए सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि-फीडर्स के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम अनुमोदित की हैं।
- (vi) मौजूदा विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन किया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाइडिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादन केंद्रों पर भी लागू हैं, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए भी लागू हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

2011-12 से 2014-15 (अप्रैल, 2014-जनवरी, 2015) तक केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से व्यस्ततम मांग, व्यस्ततम आपूर्ति और कुल आबंटन (व्यस्ततम अवधि के दौरान)

| राज्य /सिस्टम/ क्षेत्र | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | आबंटन | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | आबंटन |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | 2011-12 | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार | 2012-13 | | 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार |
| | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) |
| चंडीगढ़ | 263 | 263 | 204 | 340 | 340 | 211 |
| दिल्ली | 5,031 | 5,028 | 3,897 | 5,942 | 5,642 | 4,232 |
| हरियाणा | 6,533 | 6,259 | 1,945 | 7,432 | 6,725 | 2,224 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,397 | 1,298 | 1,156 | 2,116 | 1,672 | 1,219 |
| जम्मू व कश्मीर | 2,385 | 1,789 | 1,603 | 2,422 | 1,817 | 1,700 |
| पंजाब | 10,471 | 8,701 | 2,045 | 11,520 | 8,751 | 2,113 |
| राजस्थान | 8,188 | 7,605 | 2,374 | 8,940 | 8,515 | 2,831 |
| उत्तर प्रदेश | 12,038 | 11,767 | 5,520 | 13,940 | 12,048 | 5,779 |
| उत्तराखण्ड | 1,612 | 1,600 | 796 | 1,759 | 1,674 | 844 |
| छत्तीसगढ़ | 3,239 | 3,093 | 805 | 3,271 | 3,134 | 1,127 |
| गुजरात | 10,951 | 10,759 | 2,768 | 11,999 | 11,960 | 3,368 |
| मध्य प्रदेश | 9,151 | 8,505 | 2,553 | 10,077 | 9,462 | 4,527 |
| महाराष्ट्र | 21,069 | 16,417 | 3,853 | 17,934 | 16,765 | 6,781 |
| दमन एवं दीव | 301 | 276 | 165 | 311 | 286 | 319 |
| दादर नागर हवेली | 615 | 605 | 566 | 629 | 629 | 906 |
| गोवा | 527 | 471 | 444 | 524 | 475 | 491 |
| आंध्र प्रदेश | 14,054 | 11,972 | 3,306 | 14,582 | 11,630 | 3,675 |
| तेलंगाना* | | | | | | |
| कर्नाटक | 10,545 | 8,549 | 1,672 | 10,124 | 8,761 | 1,810 |
| केरल | 3,516 | 3,337 | 1,626 | 3,578 | 3,262 | 1,633 |
| तमिलनाडु | 12,813 | 10,566 | 3,282 | 12,736 | 11,053 | 3,766 |
| पुडुचेरी | 335 | 320 | 394 | 348 | 320 | 396 |
| बिहार | 2,031 | 1,738 | 1,742 | 2,295 | 1,784 | 1,802 |
| डीवीसी** | 2,318 | 2,074 | 168 | 2,573 | 2,469 | 5,990 |
| झारखण्ड | 1,030 | 868 | 526 | 1,263 | 1,172 | 562 |
| ओडिशा | 3,589 | 3,526 | 1,544 | 3,968 | 3,694 | 1,705 |
| पश्चिम बंगाल | 6,592 | 6,532 | 1,225 | 7,322 | 7,249 | 1,403 |
| सिक्किम | 100 | 95 | 149 | 95 | 95 | 150 |
| अरुणाचल प्रदेश | 121 | 118 | 134 | 116 | 114 | 134 |
| असम | 1,112 | 1,053 | 721 | 1,197 | 1,148 | 746 |
| मणिपुर | 116 | 115 | 123 | 122 | 120 | 123 |
| मेघालय | 319 | 267 | 212 | 334 | 330 | 212 |
| मिजोरम | 82 | 78 | 74 | 75 | 73 | 74 |
| नागालैंड | 111 | 105 | 80 | 110 | 109 | 80 |
| त्रिपुरा | 215 | 214 | 105 | 229 | 228 | 105 |

* अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए अनंतिम।

** 2011-12 के दौरान आबंटन के लिए डीवीसी के आंकड़ों में उनके अपने स्टेशनों से डीवीसी क्षेत्र के लिए निर्धारित विद्युत शामिल नहीं है।
टिप्पणी: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संघीय आंकड़े अविभाजित आंध्र प्रदेश के जून, 2014 से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजन के पश्चात जून, 2014 से दिए गए हैं।

2011-12 से 2014-15 (अप्रैल, 2014-जनवरी, 2015) तक केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से व्यस्ततम मांग, व्यस्ततम आपूर्ति और कुल आबंटन (व्यस्ततम अवधि के दौरान)

| राज्य /सिस्टम/ क्षेत्र | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | आबंटन | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | आबंटन |
|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | 2013-14 | | 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार | 2014-15* | | 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार |
| | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) |
| चंडीगढ़ | 345 | 345 | 176 | 367 | 367 | 173 |
| दिल्ली | 6,035 | 5,653 | 4,518 | 6,006 | 5,925 | 3,725 |
| हरियाणा | 8,114 | 8,114 | 2,499 | 9,152 | 9,152 | 2,560 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,561 | 1,392 | 1,244 | 1,417 | 1,403 | 1,344 |
| जम्मू व कश्मीर | 2,500 | 1,998 | 1,916 | 2,554 | 2,043 | 2,069 |
| पंजाब | 10,089 | 8,733 | 2,303 | 11,534 | 10,023 | 2,305 |
| राजस्थान | 10,047 | 10,038 | 2,922 | 10,642 | 10,642 | 3,000 |
| उत्तर प्रदेश | 13,089 | 12,327 | 6,132 | 15,670 | 13,003 | 6,329 |
| उत्तराखण्ड | 1,826 | 1,826 | 938 | 1,930 | 1,930 | 926 |
| छत्तीसगढ़ | 3,365 | 3,320 | 1,189 | 3,480 | 3,350 | 1,214 |
| गुजरात | 12,201 | 12,201 | 3,608 | 13,603 | 13,499 | 3,608 |
| मध्य प्रदेश | 9,716 | 9,716 | 4,742 | 9,755 | 9,717 | 4,767 |
| महाराष्ट्र | 19,276 | 17,621 | 7,027 | 20,147 | 19,654 | 6,987 |
| दमन एवं दीव | 322 | 297 | 322 | 297 | 297 | 320 |
| दादर नागर हवेली | 661 | 661 | 930 | 688 | 688 | 893 |
| गोवा | 529 | 529 | 502 | 501 | 489 | 522 |
| आंध्र प्रदेश | 14,072 | 13,162 | 3,697 | 7,144 | 6,549 | 1,905 |
| तेलंगाना* | | | | 7,884 | 6,682 | 2,092 |
| कर्नाटक | 9,940 | 9,223 | 1,895 | 10,001 | 9,503 | 1,897 |
| केरल | 3,671 | 3,573 | 1,639 | 3,760 | 3,495 | 1,716 |
| तमिलनाडु | 13,522 | 12,492 | 4,097 | 13,663 | 13,498 | 4,096 |
| पुडुचेरी | 351 | 333 | 387 | 389 | 348 | 386 |
| बिहार | 2,465 | 2,312 | 1,918 | 2,992 | 2,792 | 2,864 |
| डीवीसी** | 2,745 | 2,745 | 6,018 | 2,653 | 2,590 | 6,018 |
| झारखण्ड | 1,111 | 1,069 | 537 | 1,101 | 1,079 | 584 |
| ओडिशा | 3,727 | 3,722 | 1,702 | 3,814 | 3,764 | 1,750 |
| पश्चिम बंगाल | 7,325 | 7,294 | 1,548 | 7,544 | 7,524 | 1,548 |
| सिक्किम | 90 | 90 | 149 | 83 | 83 | 159 |
| अरुणाचल प्रदेश | 125 | 124 | 133 | 139 | 126 | 133 |
| असम | 1,329 | 1,220 | 727 | 1,450 | 1,257 | 777 |
| मणिपुर | 134 | 133 | 123 | 150 | 144 | 123 |
| मेघालय | 343 | 330 | 205 | 370 | 367 | 205 |
| मिजोरम | 84 | 82 | 74 | 90 | 88 | 74 |
| नागालैंड | 109 | 106 | 79 | 140 | 123 | 79 |
| त्रिपुरा | 254 | 250 | 105 | 310 | 266 | 105 |

* अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए अनंतिम।

** 2011-12 के दौरान आबंटन के लिए डीवीसी के आंकड़ों में उनके अपने स्टेशनों से डीवीसी क्षेत्र के लिए निर्धारित विद्युत शामिल नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संघीय आंकड़े अविभाजित आंध्र प्रदेश के जून, 2014 से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजन के पश्चात जून, 2014 से दिए गए हैं।

अनुबंध-III

"राज्यों को विद्युत आबंटन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के विवरण के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 में राज्यों से अतिरिक्त आबंटन के लिए सीईए/विद्युत मंत्रालय में प्राप्त अनुरोध

| क्रम सं. | (राज्य/यूटी) से प्राप्त अनुरोध | आवेदित की गई विद्युत मात्रा | लिया गया निर्णय |
|----------|--------------------------------|---|---|
| क | निश्चित विद्युत | | |
| 1 | असम | 750 मेगावाट बोंगाईगांव ताप विद्युत संयंत्र से विद्युत की सम्पूर्ण मात्रा आबंटित की जाए | विद्युत का निश्चित आबंटन पहले ही किया जा चुका है। आबंटन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब तक कि अन्य राज्यों से विद्युत छोड़ी न जाए, तब तक किसी अन्य राज्य को और अधिक विद्युत का पुनः आबंटन व्यवहार्य नहीं है। |
| ख | अनाबंटित विद्युत | | |
| 1 | मणिपुर | 25 मेगावाट अनाबंटित कोटा। दीर्घावधि आधार पर 10-15 मेगावाट हाइड्रो से और 10-15 मेगावाट एनटीपीसी विद्युत | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। चूंकि सभी पूर्वोत्तर राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, अतः फिलहाल यह व्यवहार्य नहीं है। तथापि, फरक्का एसटीपीएस-III, नबीनगर एसटीपीएस और मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार परियोजना से डीवीसी के हिस्से की लौटाई गई विद्युत राज्य को प्रस्तावित की गई है। अभी तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। |
| 2 | तमिलनाडु | कुडनकुलम, एनएलसी-टीपीएस-II, एनएलसीटी-तूतीकोरिन, एनटीपीसी-वल्लूर की 15% अनाबंटित विद्युत | कुडनकुलम परमाणु विद्युत स्टेशन की 300 मेगावाट विद्युत में से 200 मेगावाट अनाबंटित विद्युत यूनिटों के चालू होने की तिथि से तमिलनाडु को आबंटित की गई है। |
| 3 | उत्तर प्रदेश | उत्तर क्षेत्र से आबंटन बढ़ाएं | शीष्मकालीन आबंटन में उत्तर क्षेत्र पूल की अनाबंटित विद्युत में से आबंटन 294 मेगावाट से 468 मेगावाट करते हुए 174 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया था। 20 जून, 2014 तक इंदिरा गांधी सुपर ताप विद्युत स्टेशन, झज्जर से भी उत्तर प्रदेश को 325 मेगावाट आबंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने दिल्ली अथवा डीवीसी की अभ्यर्पित विद्युत उन्हें देने का कोई अनुरोध नहीं किया है। |
| 4 | नागालैंड | अनाबंटित पूल से 25 मेगावाट | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। चूंकि सभी पूर्वोत्तर राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, अतः फिलहाल यह व्यवहार्य नहीं है। तथापि, फरक्का एसटीपीएस-III, नबीनगर एसटीपीएस तथा मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार परियोजना से डीवीसी का अभ्यर्पित हिस्सा राज्य को प्रस्तुत किया गया है। आज |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| | | | तक उसकी पुष्टि नहीं मिली है। |
| 5 | आंध्र प्रदेश | एनटीपीसी-बाढ़ से 200 मेगावाट और एनटीपीसी-झुज्जर से अतिरिक्त 200 मेगावाट कुडनकुलम स्टेज-I 1000 मेगावाट से 375 मेगावाट | आंध्र प्रदेश को इंदिरा गांधी एसटीपीएस झुज्जर से 176.83 मेगावाट आबंटित किया गया था। इसके बाद, इसे 31.03.2015 तक बढ़ाकर 200 मेगावाट कर दिया गया था। हुद-हुद के बाद, 20.11.2014 तक 200 मेगावाट अनाबंटित विद्युत पुनर्स्थापन कार्य के लिए आंध्र प्रदेश को आबंटित की गई। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट-1 के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद संयंत्र से 50 मेगावाट अनाबंटित विद्युत भी आबंटित की गई। दिल्ली और डीवीसी के अभ्यर्पित हिस्से से और अधिक विद्युत देना सम्भव नहीं है क्योंकि दक्षिणी गलियारे में निकास संबंधी बाधाएं हैं। |
| 6 | राजस्थान | आबंटन 35% तक बढ़ाएं | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। चूंकि अन्य उत्तरी क्षेत्रों में अधिशेष नहीं है, अतः इस समय और अधिक आबंटन करना सम्भव नहीं है। राजस्थान ने दिल्ली अथवा डीवीसी के अभ्यर्पित हिस्से से विद्युत लेने का प्रस्ताव नहीं किया है। |
| 7 | तेलंगाना | झुज्जर से 226.17 मेगावाट, कुडनकुलम से 300 मेगावाट, अनाबंटित कोटे से 500 मेगावाट अनाबंटित कोटे से 500 मेगावाट | तेलंगाना को 31.05.2015 तक एपीसीपीएल के आई एसटीपीएस, झुज्जर में दिल्ली के निश्चित हिस्से से लौटाई गई 221.88 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट-II के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद संयंत्र से 50 मेगावाट अनाबंटित विद्युत भी आबंटित की गई। तेलंगाना को 20.11.2014 से 40 मेगावाट अनाबंटित विद्युत (जिसे पहले हुद-हुद के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश को आबंटित किया गया था) पुनः आबंटित कर दी गई थी। दिल्ली और डीवीसी के अभ्यर्पित हिस्से से और अधिक विद्युत देना सम्भव नहीं है क्योंकि दक्षिणी गलियारे में निकास संबंधी बाधाएं हैं। |
| 8 | दमन एवं दीव | मध्य प्रदेश के बूंदेलखंड क्षेत्र को डाइवर्ट किए गए 80 मेगावाट के अतिरिक्त आबंटन को पुनर्स्थापित करना | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। दमन एवं दीव में पिछले वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2013 से विद्युत की कमी शून्य रही है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ कमी है। अतएव, मध्य प्रदेश को (बूंदेलखंड क्षेत्र के लिए) विद्युत का आबंटन कम करके दमन एवं दीव को अतिरिक्त आबंटन करना व्यवहार्य नहीं था। |
| 9 | कर्नाटक | विद्युत का अतिरिक्त आबंटन | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। चूंकि सभी दक्षिणी राज्य विद्युत की |

| | | | |
|----|------------|--|---|
| | | | कमी का सामना कर रहे हैं, अतः फिलहाल यह व्यवहार्य नहीं है। दिल्ली और डीवीसी के अभ्यर्पित हिस्से से और अधिक विद्युत देना सम्भव नहीं है क्योंकि दक्षिणी गलियारे में निकास संबंधी बाधाएं हैं। |
| 10 | गोवा | अनाबंटित कोटे से 150 मेगावाट के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया | 28.02.2015 तक 20 मेगावाट अनाबंटित विद्युत आबंटित की गई थी। गोवा ने दिल्ली अथवा डीवीसी के अभ्यर्पित हिस्से से विद्युत लेने का विकल्प नहीं दिया है। |
| 11 | गुजरात | अनाबंटित कोटे से 400 मेगावाट के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया | अतिरिक्त आबंटन केवल अन्य राज्यों को आबंटन में उतनी ही कमी करते हुए किया जा सकता है। गुजरात में पश्चिमी क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में विद्युत की स्थिति बेहतर होने के कारण अन्य राज्यों से विद्युत के आबंटन को हटाकर गुजरात को विद्युत आबंटित करना व्यवहार्य नहीं है। |
| 12 | उत्तराखण्ड | विद्युत का अतिरिक्त आबंटन | शीतकालीन आबंटन के लिए उत्तर क्षेत्रीय पूल से अनाबंटित विद्युत का आबंटन 91 मेगावाट से 104 मेगावाट करते हुए 13 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया था। |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-47

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की कमी

*47. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ईंधन की कमी के कारण दबाव झेल रही विद्युत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/ परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईंधन की आवश्यकता, उपलब्धता और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राज्यों ने सरकार से इन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;
- (घ) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान महाजेनको सहित विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त विद्युत का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विद्युत संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की कमी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कोयला आधारित जो विद्युत परियोजनाएं घरेलू कोयला लिंकेज की अनुपलब्धता/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के कारण दबाव झेल रही हैं, उनके ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान चालू परियोजनाओं (अनुबंध-I की सूची में से) को कोयला आपूर्ति के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

इस समय, 16,107.8 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को गैस की अनुपलब्धता के कारण दबाव झेल रही क्षमता माना जा सकता है। ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : जी, हाँ। कई राज्यों से उनके राज्यों में स्थित विद्युत परियोजनाओं को कोयले तथा गैस की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। घरेलू कोयले की कमी के कारण, कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2010 से कोई लिंकेज नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू गैस की कमी के कारण, विद्युत मंत्रालय ने नई गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने के विरुद्ध सिफारिश करते हुए परामर्शिका जारी की है। ईंधन की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे भाग (ड) में दिए गए हैं।

(घ) : राज्यवार अतिरिक्त ताप विद्युत क्षमता, जिसके चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि तथा अगले वर्ष 2015-16 के दौरान चालू होने की आशा है, क्रमशः 3995 मेगावाट तथा 14306 मेगावाट है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं। इसमें वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान महाजेनको की क्रमशः 1160 मेगावाट तथा 1820 मेगावाट क्षमता शामिल है। चालू वर्ष 2014-15 के दौरान (25 फरवरी, 2015 तक) 15250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है।

(ड) : ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. घरेलू कोयले का उत्पादन चालू वर्ष के लक्ष्य से भी ज्यादा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कदम उठाए गए हैं।
2. घरेलू कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियां आयातित कोयले का प्रयोग कर सकती हैं।
3. विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।
4. मानक गैस आधारित विद्युत परियोजना को काफी राहत देश में घरेलू गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता पर निर्भर करती है।
5. भारत सरकार ने रद्द किए गए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी/आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली निर्धारित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है।

अनुबंध-1

"विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की कमी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

कोल लिंकेज की अनुपलब्धता के कारण दबाव का सामना कर रही कोयला आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | क्षेत्र | राज्य | विकासकर्ता | क्षमता (मेगावाट) | स्थिति |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | बेल्लारी टीपीएस स्टेज-III यू 3 | एस | कर्नाटक | केपीसीएल | 700 | यूसी |
| 2 | टिरोरा टीपीएस फेज-II यू 2,3 | पी | महाराष्ट्र | अदानी महाराष्ट्र पावर लि. | 1320 | चालू की गई |
| 3 | कवाई टीपीपी यू 1,2 | पी | राजस्थान | अदानी राजस्थान पावर लि. | 1320 | चालू की गई |
| 4 | ललितपुर टीपीपी यू 1,2,3 | पी | यूपी | ललितपुर पावर जेनरेशन क. लि. | 1980 | यूसी |
| 5 | येरमारस टीपीपी यू 1,2 | एस | कर्नाटक | केपीसीएल | 1600 | यूसी |
| 6 | सिंगरैनी टीपीपी यू 1,2 | एस | तेलंगाना | द सिंगरैनी कॉलेरीज कं. लि. | 1200 | यूसी |
| 7 | राईखेड़ा टीपीपी यू 1,2 | पी | छत्तीसगढ़ | जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि. | 1370 | यूसी |
| 8 | मलीब्राह्मणी टीपीपी यू 2 | पी | ओडिशा | मोनेट पावर कं. लि. | 525 | यूसी |
| 9 | बुटीबोरी टीपीपी यू 2 | पी | महाराष्ट्र | विदर्भ इंडस्ट्रीज लि. | 300 | चालू की गई |
| 10 | तमनार टीपीपी यू 3,4 | पी | छत्तीसगढ़ | जिंदल पावर लि. | 1200 | यू 3-चालू की गई, यू 4-यूसी |
| 11 | बाबंघ टीपीपी यू 1 | पी | ओडिशा | लैंको बाबंघ पावर लि. | 660 | यूसी |
| 12 | उकई टीपीपी एक्सटें. यू 6 | एस | गुजरात | जीएसईसीएल | 500 | चालू की गई |
| 13 | बेल्लारी टीपीपी स्टेज -II यू 2 | एस | कर्नाटक | केपीसीएल | 500 | चालू की गई |
| 14 | मेजिया टीपीपी एक्सटें. यू 2 | सी | पश्चिम बंगाल | डीवीसी | 500 | चालू की गई |
| 15 | पार्ली टीपीपी एक्सटें. यू 8 | एस | महाराष्ट्र | एमएसपीजीसीएल | 250 | यूसी |
| 16 | बारादरहा टीपीपी यू 2 | पी | छत्तीसगढ़ | डीबी पावर लि. | 600 | यूसी |
| 17 | धारीवाल टीपीपी यू 1,2 | पी | महाराष्ट्र | धारीवाल इंडस्ट्रीज | 600 | चालू की गई |
| 18 | एथेना सिंघतराई टीपीपी यू 1 | पी | छत्तीसगढ़ | एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. | 600 | यूसी |
| 19 | अभिजीत मिहान यू 1-4 | पी | छत्तीसगढ़ | अभिजीत ग्रुप | 246 | चालू की गई |
| 20 | चंद्रपुर टीपीपी एक्सटें. यू 8 | सी | झारखण्ड | डीवीसी | 250 | चालू की गई |
| कुल | | | | | 16221 | |

सी:केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

यूसी: निर्माणाधीन; कम.: चालू की गई

अनुबंध-II

"विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की कमी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार घरेलू कोयला मांग और प्राप्ति

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) | घरेलू कोयला मांग (हजार टन में) | | | घरेलू कोयला मांग (हजार टन में) | | |
|----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (जनवरी, 2015 तक) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 (जनवरी, 2015 तक) |
| 1 | टिरोरा टीपीएस फेज-II यू 2,3 | 1320 | लागू नहीं | लागू नहीं | 6072 | लागू नहीं | लागू नहीं | 572* |
| 2 | कवाई टीपीपी यू 1,2 | 1320 | लागू नहीं | 3036 | 6072 | लागू नहीं | 15.2* | 613* |
| 3 | बुटीबोरी टीपीपी यू 2 | 300 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1380 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 |
| 4 | तमनार टीपीपी यू 3 | 600 | लागू नहीं | लागू नहीं | 2760 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 |
| 5 | उकई टीपीपी एक्सटें. यू 6 | 500 | लागू नहीं | 2300 | 2300 | लागू नहीं | 0 | 0 |
| 6 | बेल्लारी टीपीएस स्टेज-II यू 2 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 365* | 0 | 0 |
| 7 | मेजिया टीपीपी एक्सटें. यू 2 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | धारीवाल टीपीपी यू 1,2 | 600 | लागू नहीं | 1380 | 2760 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | अभिजीत मिहान यू 1-4 | 246 | लागू नहीं | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | चंद्रपुर टीपीपी एक्सटें. यू 8 | 250 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 6,136 | | | | | | |

एन/ए - वह इकाईयां जो वर्ष में चालू नहीं हो सकीं।

* इन परियोजनाओं में कोई नियमित कोल लिंकेज उपलब्ध नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए किए गए सर्वोत्तम प्रयास।

| क्रम सं. | विद्युत केंद्र का नाम | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | राज्य का नाम | आपूर्ति/उपभोग की गई गैस (एमएमएससीएमडी) (सितंबर, 2014) | | | | | | पीएलएफ (%) | गैस आवश्यकता एमएमएससीएमडी |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|------|------|------------|---------------------------|
| | | | | एपीएम | गैर एपीएम | केजी डी-6 | आरएलएनजी | | कुल | | |
| | | | | | | | एसपी ओटी | एलटी | | | |
| | (तनीरवावी) | | | | | | | | | | |
| 17 | जेगुरुपड्डू सीसीपीपी (जीवीके) | 220.5 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.88 |
| 18 | कोनासीमा सीसीपीपी | 445 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.78 |
| 19 | कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी | 366 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.46 |
| 20 | वेमागिरी सीसीपीपी | 370 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.48 |
| 21 | सीबा इंडस्ट्रीज | 30 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.12 |
| 22 | आरवीके एनर्जी | 28 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.11 |
| 23 | सिल्क रोड सुगर | 35 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.14 |
| 24 | एलवीएस पावर | 55 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.22 |
| 25 | जीएमआर वेमागिरी एक्सपें. | 768 | आंध्र प्रदेश | ये परियोजनाएं अभी चालू की जानी हैं। | | | | | | | 3.07 |
| 26 | कोंडापल्ली एक्सपें. स्टेज -III | 742 | आंध्र प्रदेश | | | | | | | | 2.97 |
| 27 | समलकोट एक्सपें. | 2400 | आंध्र प्रदेश | | | | | | | | 9.60 |
| 28 | पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी | 116 | आंध्र प्रदेश | | | | | | | | 0.46 |
| 29 | आस्था द्वारा गैस इंजन | 35 | आंध्र प्रदेश | | | | | | | | 0.14 |
| 30 | काशीपुर श्रवन्थी स्टेज-I व II | 450 | उत्तराखण्ड | ये परियोजनाएं अभी चालू की जानी हैं। | | | | | | | 1.68 |
| 31 | बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी | 225 | उत्तराखण्ड | | | | | | | | 0.84 |
| 32 | गामा इंफ्रारोप सीसीजीटी | 225 | उत्तराखण्ड | | | | | | | | 0.84 |
| 33 | पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी | 388 | महाराष्ट्र | | | | | | | | 1.45 |
| | कुल (एसएस) | 11475.5 | | | | | | | | | |
| कुल | | 16107.8 | | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1.53 | 2.01 | 61.81 |

* कुल 515 मेगावाट क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति गिड में तथा शेष 215 मेगावाट का उपयोग कैप्टिव उत्पादन में होता है।

अनुबंध-IV

"विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की कमी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान चालू किए जाने के लिए संभावित थर्मल यूनिटें

| 2014-15 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| राज्य | परियोजना का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित/वास्तविक चालू होना |
| | केंद्रीय क्षेत्र | | | | |
| बिहार | बाढ़ एसटीपीपी-II | एनटीपीसी | यू-5 | 660 | मार्च-15 |
| कुल केंद्रीय क्षेत्र | | | | 660 | |
| | राज्य क्षेत्र | | | | |
| आंध्र प्रदेश | दामोदरम | एपीपीडीसीएल | यू-2 | 800 | मार्च-15 |
| महाराष्ट्र | चंद्रपुर टीपीएस | एमएसपीजीसीएल | यू-8 | 500 | मार्च-15 |
| राजस्थान | कालीसिंध टीपीपी | आरवीयूएनएल | यू-2 | 600 | मार्च-15 |
| कुल राज्य क्षेत्र | | | | 1900 | |
| निजी क्षेत्र | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | सिम्हापुरी टीपीपी | सिम्हापुरी एनर्जी लि. | यू-4 | 150 | मार्च-15 |
| छत्तीसगढ़ | स्वास्तिक कोरबा टीपीपी | एसीबी इंडिया लि. | यू-1 | 25 | मार्च-15 |
| | बंदाखार टीपीपी | मारुति क्लीन कोल | यू-1 | 300 | मार्च-15 |
| | उचपिंडा टीपीपी | आरकेएम पावरजेन प्रा. लि. | यू-1 | 360 | मार्च-15 |
| मध्य प्रदेश | अनूपपुर टीपीपी फेज-I | एमबी पावर एमपी | यू-1 | 600 | मार्च-15 |
| कुल निजी क्षेत्र | | | | 1435 | |
| सकल योग 2014-15 | | | | 3995 | |
| 2015-16 | | | | | |
| राज्य | परियोजना का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित/वास्तविक चालू होना |
| केंद्रीय क्षेत्र | | | | | |
| असम | बोंगाईगांव टीपीपी | एनटीपीसी | यू-1 | 250 | 06-2015 |
| बिहार | मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें. | एनटीपीसी | यू-4 | 195 | 03-2016 |
| झारखण्ड | बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें. . | डीवीसी | यू-1 | 500 | 12-2015 |
| एमपी | विंध्याचल टीपीपी-V | एनटीपीसी | यू-13 | 500 | 12-2015 |
| त्रिपुरा | मोनाचक सीसीपीपी | नीपको | जीटी | 61.3 | 05-2015 |
| त्रिपुरा | मोनाचक सीसीपीपी | नीपको | एसटी | 39.7 | 07-2015 |
| तमिलनाडु | तूतीकोरिन टीपीपी | एनएलसी | यू-2 | 500 | 07-2015 |
| पश्चिम बंगाल | रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I | डीवीसी | यू-2 | 600 | 10-2015 |
| कुल केंद्रीय क्षेत्र | | | | 2646 | |
| राज्य क्षेत्र | | | | | |
| गुजरात | सिक्का टीपीएस एक्सपें. | जीएसईसीएल | यू-3 | 250 | 06-2015 |
| कर्नाटक | बेल्लारी टीपीपी स्टेज-III | केपीसीएल | यू-3 | 700 | 01-2016 |
| | येरमारस टीपीपी | केपीसीएल | यू-1 | 800 | 11-2015 |
| महाराष्ट्र | चंद्रपुर टीपीएस | एमएसपीजीसीएल | यू-9 | 500 | 10-2015 |
| | कोराडी टीपीएस एक्सपें. | एमएसपीजीसीएल | यू-9 | 660 | 09-2015 |
| | कोराडी टीपीएस एक्सपें. | एमएसपीजीसीएल | यू-10 | 660 | 02-2016 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|------|-------|---------|
| | पार्ली टीपीपी | एमएसपीजीसीएल | यू-8 | 250 | 08-2015 |
| तेलंगाना | सिंगारैनी टीपीपी | सिंगारैनी कॉलरीज कं. लि. | यू-1 | 600 | 02-2016 |
| | काकातिया टीपीएस एक्सटें. | टी जैको | यू-1 | 600 | 03-2016 |
| उत्तर प्रदेश | अनपरा-डी टीपीएस | यूपीआरवीयूएनएल | यू-7 | 500 | 11-2015 |
| पश्चिम बंगाल | सागरदिघी टीपीएस-II | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | यू-3 | 500 | 10-2015 |
| | कुल राज्य क्षेत्र | | | 6020 | |
| निजी क्षेत्र | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | पैनमपुरम टीपीपी | थर्मल पावर टेक कारपोरेशन लि. | यू-2 | 660 | 08-2015 |
| | वीजग टीपीपी | हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि. | यू-1 | 520 | 09-2015 |
| छत्तीसगढ़ | बिंजकोट टीपीपी | मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. | यू-1 | 300 | 12-2015 |
| | उचपिंडा टीपीपी | आरकेएम पावरजेन प्रा. लि. | यू-1 | 360 | 06-2015 |
| | तमनार टीपीपी | जिंदल पावर | यू-4 | 600 | 08-2015 |
| महाराष्ट्र | अमरावती टीपीपी | रत्न इंडिया पावर लि. | यू-5 | 270 | 07-2015 |
| मध्य प्रदेश | अनूपपुर टीपीपी फेज-I | एमबी पावर एमपी | यू-2 | 600 | 09-2015 |
| ओडिशा | इंड भारत टीपीपी (ओडिशा) | इंड भारत | यू-1 | 350 | 09-2015 |
| पंजाब | तलवंडी साबो टीपीपी | स्टरलाईट | यू-3 | 660 | 08-2015 |
| उत्तर प्रदेश | ललितपुर टीपीपी | ललितपुर पावर जेनरेशन कं. लि. | यू-1 | 660 | 06-2015 |
| | प्रयागराज (बारा) टीपीपी | प्रयागराज पावर जेन. कं. लि. (जे.पी. पावर वेंचर्स) | यू-1 | 660 | 10-2015 |
| | | कुल निजी क्षेत्र | | 5640 | |
| | सकल योग 2015-16 | | | 14306 | |
| | सकल योग | | | 18301 | |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-49

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

*49. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रामीण विद्युतीकरण की कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कौन-सी एजेंसियां शामिल हैं तथा ऐसी प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और योजना-वार निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं और पूर्ण रूप से विद्युतीकृत, आंशिक रूप से विद्युतीकृत और अभी भी विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या कितनी है और इनके अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों और पिछड़े गांवों की संख्या कितनी है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के प्रस्तावों और इसके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं और बारहवीं योजनावधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (घ) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया/बनाया जाने वाला कार्यक्रम क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 49 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार ने फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण के सुदृढीकरण, सभी स्तरों पर मीटरिंग और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। पूर्व की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब डीडीयूजीजेवाई के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में समाहित कर दिया गया है तथा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा चुनी गई राज्य यूटिलिटीयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा किया जा रहा है।

31.01.2015 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से देश में 1,09,271 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण कार्य, 3,16,033 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है तथा 2.22 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इस योजना की प्रगति कुछ राज्यों में निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई है :-

- i) वन मंजूरी में देरी।
- ii) भूमि अधिग्रहण में देरी।
- iii) ग्रामीण क्षेत्रों में टर्नकी संविदा के निष्पादन हेतु व्यावसायिक एजेंसियों का सीमित संख्या में उपलब्ध होना।
- iv) खराब अप स्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना।
- v) बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में देरी।
- vi) कठिन क्षेत्र।
- vii) कुछ राज्यों में माओवादी हिंसा सहित कानून व व्यवस्था की समस्या।

(ग) : 11वीं योजना के अंतर्गत, 30,176.86 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 413 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी तथा 12वीं योजना के अंतर्गत 23,607.40 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 273 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विवरण अनुबंध-II (क और ख) में दिया गया है।

(घ) : 12वीं और 13वीं योजना के लिए पूर्व की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निर्धारित किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में लाया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संविदा दिए जाने की तारीख से 24 माह के समय की परिकल्पना की गई है।

अनुबंध-1

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

| डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|----------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार | | | | | | | | |
| क्रम सं. | राज्य | कुल | गैर-विद्युतीकृत गांव | | गहन रूप से विद्युतीकृत गांव | | बीपीएल घर | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16 | 0 | 0 | 16114 | 16114 | 1997962 | 1997962 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 2096 | 2087 | 1408 | 1342 | 53312 | 51624 |
| 3 | असम | 39 | 9436 | 8309 | 23165 | 12827 | 1813621 | 1180929 |
| 4 | बिहार | 81 | 31184 | 23153 | 40002 | 7093 | 10893875 | 2594508 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22 | 1734 | 1296 | 19354 | 15147 | 1335413 | 1105930 |
| 6 | गुजरात | 25 | 0 | 0 | 16144 | 16144 | 842945 | 842945 |
| 7 | हरियाणा | 21 | 0 | 0 | 5762 | 5137 | 220012 | 198580 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 92 | 91 | 11952 | 10234 | 17331 | 16492 |
| 9 | जम्मू व कश्मीर | 17 | 282 | 212 | 3599 | 3177 | 106254 | 69883 |
| 10 | झारखण्ड | 39 | 18746 | 18142 | 24393 | 5786 | 1942232 | 1315876 |
| 11 | कर्नाटक | 36 | 58 | 58 | 33288 | 24020 | 1040456 | 893065 |
| 12 | केरल | 14 | 0 | 0 | 1272 | 947 | 125598 | 119196 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 86 | 1100 | 769 | 74467 | 32039 | 2702209 | 1298251 |
| 14 | महाराष्ट्र | 35 | 0 | 0 | 36464 | 36072 | 1226185 | 1220780 |
| 15 | मणिपुर | 15 | 1018 | 747 | 3099 | 1277 | 143731 | 69724 |
| 16 | मेघालय | 7 | 1867 | 1836 | 3090 | 2933 | 109295 | 104646 |
| 17 | मिजोरम | 16 | 160 | 152 | 574 | 517 | 31057 | 29243 |
| 18 | नागालैंड | 22 | 106 | 102 | 1369 | 1169 | 112168 | 54746 |
| 19 | ओडिशा | 63 | 17581 | 14437 | 68288 | 26817 | 4556202 | 2874342 |
| 20 | पंजाब | 17 | 0 | 0 | 6580 | 6030 | 102176 | 100404 |
| 21 | राजस्थान | 68 | 4222 | 4216 | 59272 | 33356 | 1705964 | 1167436 |
| 22 | सिक्किम | 12 | 25 | 25 | 413 | 405 | 12108 | 11571 |
| 23 | तमिलनाडु | 29 | 0 | 0 | 10402 | 9673 | 525571 | 501202 |
| 24 | त्रिपुरा | 4 | 0 | 0 | 9485 | 9485 | 712111 | 712111 |
| 25 | तेलंगाना | 10 | 174 | 144 | 1436 | 652 | 206767 | 117157 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 150 | 29180 | 27799 | 90811 | 3299 | 5184331 | 1110839 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 13 | 1512 | 1511 | 10790 | 10748 | 261100 | 261100 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 36 | 4213 | 4185 | 29917 | 23593 | 2561868 | 2218749 |
| कुल | | 921 | 124786 | 109271 | 602910 | 316033 | 40541854 | 22239291 |

अनुबंध-II-क

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

| 11वीं योजना के अंतर्गत डीडीयूजीजेवाई के घटक आरई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा | | | |
|---|----------------|----------------------|---|
| क्रम सं. | राज्य | परियोजनाओं की संख्या | संस्वीकृत परियोजना लागत (रुपए करोड़ में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4 | 95.77 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 14 | 955.27 |
| 3 | असम | 20 | 2622.66 |
| 4 | बिहार | 28 | 5231.39 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 15 | 1168.32 |
| 6 | गुजरात | 22 | 249.82 |
| 7 | हरियाणा | 17 | 134.31 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 11 | 272.39 |
| 9 | जम्मू व कश्मीर | 11 | 832.29 |
| 10 | झारखण्ड | 9 | 1596.25 |
| 11 | कर्नाटक | 10 | 440.92 |
| 12 | केरल | 13 | 204.40 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 44 | 2367.72 |
| 14 | महाराष्ट्र | 31 | 610.37 |
| 15 | मणिपुर | 7 | 349.22 |
| 16 | मेघालय | 5 | 410.27 |
| 17 | मिजोरम | 6 | 180.70 |
| 18 | नागालैंड | 9 | 225.89 |
| 19 | ओडिशा | 28 | 3493.30 |
| 20 | पंजाब | 17 | 183.91 |
| 21 | राजस्थान | 15 | 833.71 |
| 22 | सिक्किम | 2 | 125.71 |
| 23 | तमिलनाडु | 29 | 385.46 |
| 24 | तेलंगाना | 5 | 161.93 |
| 25 | त्रिपुरा | 3 | 107.07 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 22 | 4476.32 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 0 | 0.00 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 16 | 2461.47 |
| | कुल | 413 | 30176.86 |

अनुबंध-II-ख

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

| 12वीं योजना के अंतर्गत डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------|
| क्रम सं. | राज्य का नाम | परियोजनाओं की संख्या | परियोजना लागत |
| 1 | असम | 16 | 1621.07 |
| 2 | बिहार | 27 | 5220.65 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 4 | 285.61 |
| 4 | जम्मू व कश्मीर | 3 | 101.28 |
| 5 | झारखण्ड | 17 | 1260.93 |
| 6 | कर्नाटक | 9 | 99.53 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 34 | 1430.93 |
| 8 | मणिपुर | 6 | 204.73 |
| 9 | मिजोरम | 8 | 77.03 |
| 10 | नागालैंड | 11 | 92.31 |
| 11 | ओडिशा | 31 | 3550.77 |
| 12 | राजस्थान | 28 | 1453.91 |
| 13 | त्रिपुरा | 8 | 316.23 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 64 | 7282.81 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 7 | 609.61 |
| | कुल | 273 | 23607.40 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-55

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण

*55. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री कौडिकुन्नील सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बड़ी संख्या में विद्युत संयंत्रों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और वे बंद होने के कगार पर हैं तथा उनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो विद्युत के उत्पादन हेतु उन्हें आवंटित किए जाने वाले ईंधन सहित ऐसे विद्युत संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुछ विद्युत कंपनियों ने ऐसे संयंत्रों के अनुरक्षण तथा प्रचालन हेतु वित्तीय सहायता माँगी है और यदि हां, तो इन पुराने संयंत्रों की तुलना में नए संयंत्रों की उत्पादन लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कुछ वितरण कंपनियों से पुराने संयंत्रों के बजाए नए संयंत्रों को ईंधन आवंटित किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) नए विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 55 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : 12वीं योजना के प्रारंभ में व्यापक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के माध्यम से जीवन विस्तार (एलई) हेतु अभिज्ञात की गई 12066 मेगावाट की कुल क्षमता वाली उन 70 थर्मल उत्पादन यूनिटों की आवंटित ईंधन सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूची संलग्न है, जिनका अपना अपने उपयोगी आर्थिक जीवन (25 वर्ष) से अधिक का समय हो गया है।

(ग) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय में इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) : गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों से नए ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला लिंकेज के अंतरण के लिए अनुरोध किया था। इस संबंध में, भारत सरकार ने निम्नलिखित नीति अनुमोदित की है:

"पुराने संयंत्र को प्रदान किया गया आश्वासन पत्र (एलए)/लिंकेज निकटतम सुपरक्रिटिकल क्षमता के नए संयंत्र को स्वतः ही अंतरित हो जाती है। यदि नए सुपरक्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र से अधिक हो तो अतिरिक्त कोयले के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते सीआईएल से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कोयले की उपलब्धता हो।

नए सुपरक्रिटिकल संयंत्र की कम से कम 50% क्षमता को समाप्त होना होता है। प्रस्तावित सुपरक्रिटिकल क्षमता के 50% के इस न्यूनतम निर्धारण को हासिल करने के लिए पुराने संयंत्रों को एक साथ शामिल किया जा सकता है। यह नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे दीर्घावधि लिंकेज (एलओए) पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, में नई कोयला वितरण नीति से पूर्व की नीति पर लागू है। उपरोक्त स्पष्ट किए गए अनुसार, आश्वासन पत्र के स्वतः अंतरण की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब नया संयंत्र उस राज्य में स्थापित किया जाता है, जिसमें पुराना संयंत्र स्थापित है और पुराने संयंत्र को वस्तुतः रूप में स्कैप कर दिया जाता है। पुराना संयंत्र नए संयंत्र वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) तक प्रचालनरत रहता है।"

(ङ) : कोयला लिंकेज वाली नई परियोजनाओं के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।
2. विद्युत यूटिलिटियां घरेलू कोयला उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर सकती हैं।
3. कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से कड़ी निगरानी की जा रही है।
4. इसके अलावा, भारत सरकार ने नीलामी/आवंटन के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

अनुबंध

"विद्युत संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना अवधि में राज्य/यूटिलिटी-वार जीवन-विस्तार कार्यों के लिए अभिज्ञात तापीय विद्युत संयंत्रों का यूनिट-वार ब्यौरा

राज्य क्षेत्र (कोयला आधारित)

| क्रम सं. | राज्य | स्टेशन का नाम | यूनिट सं. | चालू होने का वर्ष | क्षमता (मेगावाट) | आबंटित किया गया ईंधन |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | उत्तर प्रदेश | ओबरा | 10 | 1977 | 200 | 50,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 2 | | ओबरा | 11 | 1977 | 200 | |
| 3 | | ओबरा | 12 | 1981 | 200 | |
| 4 | | ओबरा | 13 | 1982 | 200 | |
| 5 | | हरदुआगंज | 7 | 1978 | 110 | 9,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 6 | | परीछा | 1 | 1984 | 110 | 32,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 7 | | परीछा | 2 | 1985 | 110 | |
| 8 | पंजाब | बठिंडा | 3 | 1978 | 110 | 10,95,000 टन प्रतिवर्ष |
| 9 | | बठिंडा | 4 | 1979 | 110 | |
| 10 | हरियाणा | पानीपत | 3 | 1985 | 110 | 66,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 11 | | पानीपत | 4 | 1985 | 110 | |
| 12 | महाराष्ट्र | नासिक | 3 | 1979 | 210 | 47,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 13 | | नासिक | 4 | 1980 | 210 | |
| 14 | | कोराडी | 5 | 1978 | 200 | 53,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 15 | | कोराडी | 6 | 1982 | 210 | |
| 16 | | भुसावल | 2 | 1979 | 210 | 28,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 17 | | भुसावल | 3 | 1982 | 210 | |
| 18 | | चंद्रपुर | 1 | 1983 | 210 | 1,28,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 19 | | चंद्रपुर | 2 | 1984 | 210 | |
| 20 | | पार्ली | 3 | 1980 | 210 | 57,60,000 टन प्रतिवर्ष |
| 21 | | छत्तीसगढ़ | कोरबा (पश्चिम) | 1 | 1983 | 210 |
| 22 | कोरबा (पश्चिम) | | 2 | 1984 | 210 | |
| 23 | मध्य प्रदेश | सतपुड़ा | 6 | 1979 | 200 | 66,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 24 | | सतपुड़ा | 7 | 1979 | 210 | |
| 25 | तमिलनाडु | तृतीकोरिन | 1 | 1979 | 210 | 50,57,000 टन प्रतिवर्ष |
| 26 | | तृतीकोरिन | 2 | 1980 | 210 | |
| 27 | आंध्र प्रदेश | डॉ. एन. टी. टीपीएस (विजयवाड़ा) | 1 | 1979 | 210 | 60,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 28 | | डॉ. एन. टी. टीपीएस (विजयवाड़ा) | 2 | 1980 | 210 | |
| 29 | कर्नाटक | रायचूर | 1 | 1985 | 210 | 7120,000 टन प्रतिवर्ष |
| 30 | | रायचूर | 2 | 1986 | 210 | |
| 31 | बिहार | बरौनी | 6 | 1983 | 110 | 4,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 32 | | बरौनी | 7 | 1985 | 110 | |
| 33 | | मुजफ्फरपुर | 1 | 1985 | 110 | 5,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 34 | | मुजफ्फरपुर | 2 | 1986 | 110 | |
| 35 | पश्चिम बंगाल | कोलाघाट | 1 | 1990 | 210 | 50,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 36 | | कोलाघाट | 2 | 1985 | 210 | |
| 37 | | कोलाघाट | 3 | 1984 | 210 | |
| 38 | | बंडेल | 5 | 1982 | 210 | 12,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| उप-जोड़ राज्य क्षेत्र | | | 38 | | 6820 | |

केंद्रीय क्षेत्र (कोयला आधारित)

| क्रम सं. | यूटिलिटी | स्टेशन का नाम | यूनिट सं. | चालू होने का वर्ष | क्षमदता (मेगावाट) | आबंटित किया गया ईंधन |
|---|----------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | डीवीसी | बोकारो 'बी' | 1 | 1986 | 210 | 30,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 2 | | बोकारो 'बी' | 2 | 1990 | 210 | |
| 3 | | बोकारो 'बी' | 3 | 1993 | 210 | |
| 4 | | दुर्गापुर | 4 | 1982 | 210 | 14,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 5 | एनटीपीसी | बदरपुर | 4 | 1978 | 210 | 42,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 6 | | बदरपुर | 5 | 1981 | 210 | |
| 7 | | सिंगरौली एसटीपीएस | 1 | 1986 | 200 | 1,10,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 8 | | सिंगरौली एसटीपीएस | 2 | 1987 | 200 | |
| 9 | | सिंगरौली एसटीपीएस | 3 | 1983 | 200 | |
| 10 | | सिंगरौली एसटीपीएस | 4 | 1983 | 200 | |
| 11 | | सिंगरौली एसटीपीएस | 5 | 1984 | 200 | |
| 12 | | कोरबा एसटीपीएस | 1 | 1983 | 200 | 12,20,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 13 | | कोरबा एसटीपीएस | 2 | 1983 | 200 | |
| 14 | | कोरबा एसटीपीएस | 3 | 1984 | 200 | |
| 15 | | रामागुंडम एसटीपीएस | 1 | 1984 | 200 | 11,20,00,000 टन प्रतिवर्ष |
| 16 | | रामागुंडम एसटीपीएस | 2 | 1984 | 200 | |
| 17 | | रामागुंडम एसटीपीएस | 3 | 1984 | 200 | |
| उप-जोड़ केंद्रीय क्षेत्र (कोयला आधारित) | | | 17 | | 3460 | |

केंद्रीय क्षेत्र (गैस आधारित)

| क्रम सं. | यूटिलिटी | स्टेशन का नाम | यूनिट सं. | चालू होने का वर्ष | क्षमदता (मेगावाट) | आबंटित किया गया ईंधन |
|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | एनटीपीसी | दादरी जीटी | जीटी-1 | 1991 | 131 | 4.81 एमएमएससीएमडी |
| 2 | | दादरी जीटी | जीटी-2 | 1991 | 131 | |
| 3 | | दादरी जीटी | जीटी-3 | 1991 | 131 | |
| 4 | | दादरी जीटी | जीटी-4 | 1991 | 131 | |
| 5 | | औरैया जीटी | जीटी-1 | 1989 | 111.19 | 4.33 एमएमएससीएमडी |
| 6 | | औरैया जीटी | जीटी-2 | 1989 | 111.19 | |
| 7 | | औरैया जीटी | जीटी-3 | 1989 | 111.19 | |
| 8 | | औरैया जीटी | जीटी-4 | 1989 | 111.19 | |
| 9 | | कवास जीटी | जीटी-1ए | 1992 | 106 | 4.62 एमएमएससीएमडी |
| 10 | | कवास जीटी | जीटी-1बी | 1992 | 106 | |
| 11 | | कवास जीटी | जीटी-2ए | 1992 | 106 | |
| 12 | | कवास जीटी | जीटी-2बी | 1992 | 106 | |
| 13 | | गांधार जीटी | जीटी-1 | 1994 | 131 | 1.23 एमएमएससीएमडी |
| 14 | | गांधार जीटी | जीटी-2 | 1994 | 131 | |
| 15 | | गांधार जीटी | जीटी-3 | 1994 | 131 | |
| उप-जोड़ केंद्रीय क्षेत्र (गैस आधारित) | | | 15 | | 1785.8 | |
| कुल (राज्य + केंद्रीय क्षेत्र) | | | 70 | | 12066 | |

टिप्पणी : तालिका में दिखाए ईंधन आवंटन पूरे थर्मल पावर स्टेशन के लिए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-506

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब

506. श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश में प्रस्तावित अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;
- (ख) क्या छत्तीसगढ़ में स्थित उक्त परियोजना के लिए उद्दिष्ट पुंटा परेजिया और पिंडारखी के रक्षित कोयला ब्लॉक को पर्यावरणिक और वन्य स्वीकृति नहीं दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पर्यावरणिक मंजूरी कब तक दे दी जाएगी;
- (ग) क्या सरकार इसके स्थान पर कोई अन्य वैकल्पिक रक्षित कोयला-ब्लॉक आबंटित करने का विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन किस तारीख तक होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : कुछ यूएमपीपी की स्थापना में हुए विलंब का कारण मेजबान राज्यों द्वारा साइटों को अंतिम रूप न देना, भूमि के अंतरण/अधिग्रहण में विलंब, आयातित कोयले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रूप से विनियम में परिवर्तन और न्यायालयी मामले हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि छत्तीसगढ़ यूएमपीपी से लिंक किए गए पिंडारखी और पुटा परोगिया कोयला ब्लॉक इनवायलेट एरिया में आते हैं और इन ब्लॉकों की वन स्वीकृति पर विचार करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) : यूएमपीपी की स्थापना के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन एक पूर्वापेक्षा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-508

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

निजी भागीदारों के जरिए विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्धन

508. श्री अनिल शिरोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ राज्य निजी भागीदारों के जरिए अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों को कोई प्रोत्साहन उपलब्ध कराया या कराने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्राइवेट साझेदारी में विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं। त्रिपुरा में 726.6 मेगावाट की एक ताप विद्युत परियोजना लागू की गई है। सिक्किम में कुल 2,120 मेगावाट की चार जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) और अरुणाचल प्रदेश में 144 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) का निर्माण प्रारंभ किया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-510

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक विशेषज्ञ समिति

510. श्री एम. बी. राजेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के अध्ययन के लिए विश्व बैंक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशें पूर्णतः मान ली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर विश्व बैंक के दक्षिण एशिया ऊर्जा दल द्वारा "विद्युत क्षेत्र नैदानिक समीक्षा" की गई। इसकी रिपोर्ट में, विश्व बैंक दल ने मुख्य रूप से वितरण खण्ड में विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया है। सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पहले से ही अनेक पहलें शुरू कर दी हैं, जिनमें "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" तथा 'एकीकृत विद्युत विकास स्कीम' की दो नई योजनाएं प्रारंभ करना शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-517

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा तमिलनाडु में विद्युत संयंत्रों हेतु बोली

517. श्रीमती के. मरगथमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में प्रस्तावित संयंत्र हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की एक मात्र बोली को स्वीकार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की निर्माण लागत क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार ने चेन्नूर, तमिलनाडु में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बोली प्रक्रिया निरस्त कर दी है।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-521

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत ग्रिडों की अंतर संयोजता

521. श्री सी. आर. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के सभी विद्युत ग्रिडों वन नेशन - वन ग्रिड - वन फ्रिक्वेंसी मिशन के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं और मिशन की मुख्य प्रदायगी क्या है और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता और वर्तमान उत्पादकता क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पारेषण और वितरण में कुल कितनी हानि हुई और घाटे को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और
- (ग) विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन हेतु सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उसके प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ।

31 दिसंबर, 2013 को 765 केवी रायचूर-सोलापुर पारेषण परिपथ-1 के चालू होने के साथ ही दक्षिणी क्षेत्र अन्य क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के साथ ही समक्रमणीय रूप से जुड़ गया जिससे 'एक राष्ट्र - एक ग्रिड - एक फ्रिक्वेंसी' का लक्ष्य पूरा हुआ। लिंक को 30 जून, 2014 को 765 केवी रायचूर-सोलापुर पारेषण लाइन के द्वितीय परिपथ को चालू करके और ज्यादा सुदृढ़ किया गया। सभी क्षेत्रीय ग्रिडों के समक्रमण से क्षेत्रों के बीच विद्युत के अंतरण के द्वारा अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के अत्युत्तम उपयोग में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, इससे क्षेत्रों में विद्युत के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वाइब्रेंट विद्युत बाजार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

(ख) : पीजीसीआईएल मुख्य रूप से अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) का निर्माण कर रहा है। वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (16 फरवरी, 2015 तक) के लिए औसत अखिल भारतीय आईएसटीएस पारेषण हानि क्रमशः 3.73%, 3.51%, 3.28% एवं 3.47% थी। पीजीसीआईएल पारेषण लाइन की हानियों को न्यूनतम रखने के लिए सर्वोत्तम प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रैक्टिस का अनुसरण करता है।

(ग) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर, 2014 को विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। जैसा कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में समाविष्ट है। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 को 19.12.2014 को संसद (लोकसभा) में प्रस्तुत किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के संशोधन को ग्रिड सुरक्षा, खुली पहुँच, वितरण क्षेत्र में कैरिज एवं कंटेंट के पृथक्करण, प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया के औचित्यकरण और विनियामक आयोग के निष्पादन पर्यवेक्षण आदि जैसे क्षेत्रों को विस्तार से शामिल करते हुए प्रस्तावित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-561

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

एल.ई.डी. बल्बों की कीमत

561. श्री नित्यानंद रायः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने और विद्युत की आपूर्ति और मांग में अंतर को समाप्त करने के लिए लागू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सामान्य बल्बों से 80 प्रतिशत कम खपत वाले एल.ई.डी. बल्बों की कीमत सामान्य बल्बों से 40 गुना अधिक है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली खपत को कम करने के लिए एल.ई.डी. बल्बों की कीमतों को घटाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 87087 मेगावाट क्षमता की 89 ताप विद्युत परियोजनाएं और 14218 मेगावाट क्षमता की 48 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं से 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

(ख) से (घ) : एलईडी की मांग को बढ़ाने के लिए और उनके मूल्यों में कमी करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार, ईईएसएल ने एलईडी बल्बों की थोक खरीद की है। आज तक कुल 145 लाख एलईडी बल्बों की खरीद की जा चुकी है जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 2014 में 310 रूपए से फरवरी, 2015 में 103.95 रूपए की थोक लागत से एलईडी बल्बों के मूल्य में कमी हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-567

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

यूएमपीपी हेतु बोली की प्रक्रिया

567. श्री राजीव सातवः

श्री धनंजय महाद्वीपः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

श्री टी. राधाकृष्णनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान बोली हेतु निर्धारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने यूएमपीपी की बोली की प्रक्रिया हेतु मानक दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए एक पैनल गठित की है अथवा गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में यूएमपीपी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान कम से कम दो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) अर्थात् ओडिशा यूएमपीपी और चेन्नूर यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया आरंभ की जानी है।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी/मामला-2 के लिए लागू मानक बोली दस्तावेजों की जांच हेतु श्री प्रत्युश सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-569

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत की उपलब्धता

569. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत अपूर्ण और विद्युत आधिक्य राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान राज्य में विद्युत शुल्क क्या है;

(ग) देश में विद्युत की कुल मांग और इसकी उपलब्धता वर्तमान में कितनी है; और

(घ) विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चालू वर्ष (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में आधिक्य/कमी की स्थिति को दर्शाते हुए विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध पर है।

(ख) : राजस्थान राज्य में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विद्युत प्रशुल्क 275 पैसा/केडब्ल्यूएच से 625/केडब्ल्यूएच के बीच है।

(ग) : वर्तमान में (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015) देश में विद्युत की कुल मांग और उपलब्धता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|------------------------------|----------|---------------|------|------------------------------|-----------|---------------|------|
| अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015* | | | | अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015* | | | |
| आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष/कमी(-) | | आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष/कमी(-) | |
| (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| 903,104 | 868,591 | 34,513 | -3.8 | 148,166 | 141,160 | 7,006 | -4.7 |

* अनंतिम आंकड़े

(घ) : सरकार द्वारा विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित)। इसकी तुलना में, 09.02.2015 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 52,738 मेगावाट और 31.01.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 9,120 मेगावाट प्राप्त कर ली गई है।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना। इसकी तुलना में, जनवरी, 2015 तक 50,503 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 1,64,924 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।
- (iii) थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों को घटाने के लिए सरकार द्वारा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि-फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें, नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है।
- (vi) विद्यमान विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई गई है, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता और मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन किया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

| राज्य / सिस्टम / क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| | अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015 | | | | अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015 | | | |
| | आवश्यकता (एमयू) | उपलब्धता (एमयू) | अधिशेष/कमी(-) (एमयू) | (%) | व्यस्ततम मांग (मेगावाट) | व्यस्ततम मांग (मेगावाट) | अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट) | (%) |
| चंडीगढ़ | 1,416 | 1,416 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 25,603 | 25,488 | -115 | -0.4 | 6,006 | 5,925 | -81 | -1.3 |
| हरियाणा | 39,872 | 39,688 | -184 | -0.5 | 9,152 | 9,152 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 7,422 | 7,350 | -72 | -1.0 | 1,417 | 1,403 | -14 | -1.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 13,938 | 11,153 | -2,785 | -20.0 | 2,554 | 2,043 | -511 | -20.0 |
| पंजाब | 42,805 | 42,322 | -483 | -1.1 | 11,534 | 10,023 | -1,511 | -13.1 |
| राजस्थान | 55,258 | 54,812 | -446 | -0.8 | 10,642 | 10,642 | 0 | 0.0 |
| उत्तर प्रदेश | 88,975 | 74,503 | -14,472 | -16.3 | 15,670 | 13,003 | -2,667 | -17.0 |
| उत्तराखण्ड | 10,497 | 10,162 | -335 | -3.2 | 1,930 | 1,930 | 0 | 0.0 |
| उत्तरी क्षेत्र | 2,85,786 | 2,66,894 | -18,892 | -6.6 | 51,977 | 47,642 | -4,335 | -8.3 |
| छत्तीसगढ़ | 17,481 | 17,262 | -219 | -1.3 | 3,480 | 3,350 | -130 | -3.7 |
| गुजरात | 80,673 | 80,649 | -24 | 0.0 | 13,603 | 13,499 | -104 | -0.8 |
| मध्य प्रदेश | 46,039 | 45,747 | -292 | -0.6 | 9,755 | 9,717 | -38 | -0.4 |
| महाराष्ट्र | 1,14,775 | 1,13,168 | -1,607 | -1.4 | 20,147 | 19,654 | -493 | -2.4 |
| दमन एवं दीव | 1,760 | 1,760 | 0 | 0.0 | 297 | 297 | 0 | 0.0 |
| दादर नागर हवेली | 4,516 | 4,514 | -2 | 0.0 | 688 | 688 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 3,349 | 3,313 | -36 | -1.1 | 501 | 489 | -12 | -2.4 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 2,68,593 | 2,66,413 | -2,180 | -0.8 | 44,166 | 43,035 | -1,131 | -2.6 |
| आंध्र प्रदेश | 50,647 | 47,775 | -2,872 | -5.7 | 7,144 | 6,549 | -595 | -8.3 |
| तेलंगाना | 34,543 | 32,043 | -2,500 | -7.2 | 7,884 | 6,682 | -1,202 | -15.2 |
| कर्नाटक | 51,268 | 48,838 | -2,430 | -4.7 | 10,001 | 9,503 | -498 | -5.0 |
| केरल | 18,544 | 18,242 | -302 | -1.6 | 3,760 | 3,495 | -265 | -7.0 |
| तमिलनाडु | 79,415 | 76,933 | -2,482 | -3.1 | 13,663 | 13,498 | -165 | -1.2 |
| पुडुचेरी | 2,010 | 1,984 | -26 | -1.3 | 389 | 348 | -41 | -10.5 |
| लक्षद्वीप | 40 | 40 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 2,36,427 | 2,25,815 | -10,612 | -4.5 | 39,094 | 35,698 | -3,396 | -8.7 |
| बिहार | 16,031 | 15,571 | -460 | -2.9 | 2,992 | 2,792 | -200 | -6.7 |
| झारखण्ड | 15,294 | 14,867 | -427 | -2.8 | 2,653 | 2,590 | -63 | -2.4 |
| झारखण्ड | 6,440 | 6,274 | -166 | -2.6 | 1,101 | 1,079 | -22 | -2.0 |
| ओडिशा | 22,332 | 21,947 | -385 | -1.7 | 3,814 | 3,764 | -50 | -1.3 |
| पश्चिम बंगाल | 39,792 | 39,575 | -217 | -0.5 | 7,544 | 7,524 | -20 | -0.3 |
| सिक्किम | 332 | 332 | 0 | 0.0 | 83 | 83 | 0 | 0.0 |
| अंडमान-निकोबार | 200 | 150 | -50 | -25 | 40 | 32 | -8 | -20 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1,00,221 | 98,566 | -1,655 | -1.7 | 16,909 | 16,609 | -300 | -1.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 586 | 512 | -74 | -12.6 | 139 | 126 | -13 | -9.4 |
| असम | 7,289 | 6,709 | -580 | -8.0 | 1,450 | 1,257 | -193 | -13.3 |
| मणिपुर | 590 | 565 | -25 | -4.2 | 150 | 144 | -6 | -4.0 |
| मेघालय | 1,588 | 1,339 | -249 | -15.7 | 370 | 367 | -3 | -0.8 |
| मिजोरम | 382 | 355 | -27 | -7.1 | 90 | 88 | -2 | -2.2 |
| नागालैंड | 561 | 537 | -24 | -4.3 | 140 | 123 | -17 | -12.1 |
| त्रिपुरा | 1,081 | 886 | -195 | -18.0 | 310 | 266 | -44 | -14.2 |
| पूर्वांचल क्षेत्र | 12,077 | 10,903 | -1,174 | -9.7 | 2,528 | 2,202 | -326 | -12.9 |
| अखिल भारत | 9,03,104 | 8,68,591 | -34,513 | -3.8 | 1,48,166 | 1,41,160 | -7,006 | -4.7 |

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम हैं। इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-592

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

ईंधन ले जाने के लिए वैगनों की वृद्धि

592. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास रावः

श्री अजय टम्टाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विद्युत परियोजनाओं में कोयले का स्टॉक काफी कम है, चूंकि रेलवे ने ईंधन ले जाने के लिए वैगनों हेतु मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौतों को अंतिम रूप में तैयार करने से पूर्व रेलवे से उनकी धारण क्षमता के बारे में परामर्श नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित दलों के लिए आसानी से ईंधन पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : 19 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए 100 पावर स्टेशनों में से 24 पावर स्टेशन क्रिटिकल थे, इनमें 23 नॉन पिटहेड विद्युत संयंत्र शामिल हैं, जिनमें 7 दिनों से कम के लिए कोयले का स्टॉक था तथा 1 पिटहेड विद्युत संयंत्र में 5 दिनों से कम का कोयले का स्टॉक था। 24 क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों में से, केवल 1 (एक) निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र अर्थात् अमरावती टीपीएस (810 मेगावाट) क्रिटिकल था।

ईंधन के सुगम यातायात के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड ने अपने संबंधित आंचलिक रेलवे को इस आशय के निर्देश जारी किए थे कि आईपीपी (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों) को सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों के समान ही माना जाए तथा यह सुझाव भी दिया गया था कि तेज लोडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए आईपीपी तथा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और अधिक साइडिंग से कोयला मंगाएं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-601

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

कोल लिंकेज योजना के अंतर्गत कोयला आपूर्ति

601. श्रीमती रंजीत रंजन:

श्री राजेश रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कार्यारंभ हेतु स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं से बिहार में मांग से अधिक 1280 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होगा तथा इससे रोजगार के बड़े अवसर का सृजन होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कोयला प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय में ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) : बिहार में निर्माणाधीन निम्नलिखित परियोजना को कोयला लिंकेज की स्वीकृति दी गई हैं:

- (i) 390 मेगावाट का मुज्जफरपुर टीपीपी स्टेज-II, कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (एनटीपीसी और बीएसईबी की एक संयुक्त उद्यम)।
- (ii) 1,980 मेगावाट का नबीनगर एसटीपीपी, एनटीपीसी और बीएसईबी का संयुक्त उद्यम।
- (iii) 1000 मेगावाट (4x250) नबीनगर ताप विद्युत परियोजना, भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड (एनटीपीसी और रेल मंत्रालय का संयुक्त उद्यम)
- (iv) 1,980 (3x660) मेगावाट बाढ टीपीपी फेज-I, एनटीपीसी।
- (v) 1,980 (3x660) मेगावाट उत्तर करनपुरा परियोजना, एनटीपीसी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल में देवचा-पाचामी ब्लॉक आबंटित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ बिहार में तीन परियोजनाओं जिनमें बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की दो परियोजनाएं अर्थात् पीरपैनती टीपीपी (1,320 मेगावाट) लखीसराय टीपीपी (1,320 मेगावाट) और एसजेवीएनएल की एक (बक्सर टीपीपी, 1,320 मेगावाट) शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-620

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

घरेलू कुशल प्रकाशीकरण कार्यक्रम

620. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री बी. विनोद कुमार:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राजीव सातव:

श्री धनंजय महाडीक:

श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री सी. आर. पाटील:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री पी. नागराजन:

श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू:

श्री टी. राधाकृष्णन:

श्री बी. श्रीरामुलु:

श्री जी. हरि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत संरक्षण के लिए घरेलू कुशल प्रकाशीकरण कार्यक्रम के प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एल ई डी) लैंपों/बल्बों के वितरण के लिए एक नई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उपरोक्त के परिणामस्वरूप कितना वित्तीय लाभ होने और विद्युत संरक्षण किए जाने की संभावना है;

(ग) वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कितने राज्य कवर किए गए हैं और भविष्य में कितनों का प्रस्ताव है तथा इसमें अनुमानित व्यय कितना है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत पूर्व-पूजीकरण प्रारंभ हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा देश में विद्युत की बचत/संरक्षण करने हेतु कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : सरकार ने घरेलू कुशल प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) की शुरुआत की है, जिसे प्रारंभ में 100 शहरों में कार्यान्वित किया जाएगा। डीईएलपी कार्यक्रम के अंतर्गत, घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब (संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉम के परामर्श से बल्बों की संख्या निर्धारित की जाती है) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एलईडी बल्बों की खरीद की लागत एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा वहन की जाती है। ईईएसएल द्वारा किए गए अपफ्रंट निवेश को 1-2 वर्षों की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के बिजली बिलों से वसूल किया जाएगा।

100 शहरों को शामिल करते हुए कार्यक्रम का परिणाम निम्नानुसार अनुमानित किया गया है:-

| | |
|---|--------------------------|
| 100 शहरों में बदली जाने वाली एलईडी लाइटों की अनुमानित संख्या | 20 करोड़ |
| अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत | 10.5 बिलियन किलोवाट घंटा |
| संस्थापित भार में संभावित कमी | 5000 मेगावाट |
| अनुमानित पूंजीगत निवेश (प्रचालन एवं अनुरक्षण को छोड़कर) | 2500 करोड़ रुपए |
| उपभोक्ताओं की प्रति वर्ष संभावित लागत बचत (विचार किया गया औसत प्रशुल्क 5.5 रुपए/किलो वाट घंटा [केडब्ल्यूएच] है) | 5775 करोड़ रुपए |
| ईईएसएल/ऊर्जा बचत कंपनियों (ईएससीओ) को अनुमानित वार्षिक भुगतान (प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित) | 1575 करोड़ रुपए |

(ग) : अब तक शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| राज्य का नाम | अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रुपए) |
|---------------|-------------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | 285 |
| दिल्ली | 120 |
| राजस्थान | 392 |
| महाराष्ट्र | 579 |
| केरल | 225 |
| उत्तर प्रदेश | 75 |
| त्रिपुरा | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | 81 |

| राज्य का नाम | अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रुपए) |
|--------------|-------------------------------------|
| हरियाणा | 15 |
| नागालैण्ड | 6 |
| मिजोरम | 3 |
| ओडिशा | 138 |
| मध्य प्रदेश | 30 |
| कर्नाटक | 60 |
| पंजाब | 30 |
| गोआ | 45 |
| कुल | 2,094 |

(घ) : एसएमएस तथा वेब पोर्टल के जरिए दिल्ली में पूर्व-पंजीकरण आरंभ हो गया है।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय एवं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देश में ऊर्जा की बचत के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. 19 उपकरणों के लिए ऊर्जा कुशलता लेबलिंग।
- ii. यात्री कारों के लिए निर्धारित ईंधन कुशलता मानक।
- iii. वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा कुशलता में सुधार के लिए बनाई गई ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)।
- iv. म्युनिसिपल, घरों, कृषि तथा लघु एवं मध्यम प्रतिष्ठानों (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पर प्रदर्शन परियोजनाएं।
- v. निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए निर्धारित विशिष्ट ऊर्जा खपत मानक।
- vi. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों एवं वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण।
- vii. निष्पादन से संबद्ध पुनर्भुगतान बिजनेस मॉडल पर एक विशेष प्रयोजन संयुक्त उद्यम कंपनी, ईईएसएल के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश संभव करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-622

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

रत्नागिरी गैस और विद्युत लिमिटेड का पुनरुद्धार

622. श्री धनंजय महाडीकः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री अनंतकुमार हेगड़ेः

श्री राजीव सातवः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रत्नागिरी गैस और विद्युत लिमिटेड द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना कर्ज है तथा मुख्य उधारकर्त्ताओं/अंशधारियों को कर्ज वापस चुकाने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार रत्नागिरी गैस और विद्युत लिमिटेड का पुनरुद्धार करने का है और इस संबंध में राज्य सरकार सहित अंशधारियों से विचार-विमर्श किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनरुद्धार के बाद विद्युत उत्पादन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है तथा विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है एवं किस दर पर महाराष्ट्र राज्य सरकार को विद्युत प्रदान किए जाने की संभावना है; और
- (घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त विद्युत लिमिटेड के शीघ्र पुनरुद्धार हेतु कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत उत्पादन के लिए रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) की संस्थापित क्षमता 1967 मेगावाट है। अभी तक आरजीपीपीएल द्वारा 48 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है। आरजीपीपीएल द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वित्त वर्ष | उत्पादन |
|------------|-------------|
| 2008-09 | 3,872 एमयू |
| 2009-10 | 8,289 एमयू |
| 2010-11 | 11,877 एमयू |
| 2011-12 | 11,618 एमयू |
| 2012-13 | 5,127 एमयू |
| 2013-14 | 1,506 एमयू |
| 2014-15 | --- |

आरजीपीपीएल का कुल ऋण 8020 करोड़ रुपए है। आरजीपीपीएल को लाभग्राहियों से नियत प्रभारों की वसूली न होने से उत्पन्न हो रही निधियों की कमी के कारण ऋण चुकता करने में कठिनाई हो रही है।

ऋणदाताओं द्वारा दिए गए सुझाव और शेयर होल्डरों द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 01.07.2014 तक 405.12 करोड़ रुपए के बकाये को दिनांक 02.01.2015 को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) से (घ) : आरजीपीपीएल को महत्वपूर्ण राहत मिलना देश में घरेलू गैस की उपलब्धता में वृद्धि पर निर्भर करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-627

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

627. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

श्री पी. कुमार:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ताप, गैस, जल आदि आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई औसत लागत कितनी है और विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले विद्युत प्रशुल्क के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं तथा उक्त उपभोक्ताओं निजी एवं सरकारी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा वसूली जा रही मौजूदा विद्युत दर देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितनी है;
- (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक निजी एवं सरकारी विद्युत कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन विद्युत उत्पादकों, विशेषकर निजी कंपनियों द्वारा देश में निर्धारित/वसूले जा रहे प्रशुल्क किसी भी अन्य विकासशील/विकसित देशों से काफी ज्यादा हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में विद्युत प्रशुल्क घटाने हेतु सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं और अगली योजना में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-सी कार्य-योजना बनाई गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2012-13 के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विद्युत यूटिलिटियों को उत्पादन स्टेशनों से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की बिक्री की स्रोत-वार भारित औसत दर (यूनिट = 1 कि.वाट प्रति घंटा) नीचे दी गई है:

| परियोजना प्रकार | (आकड़े पैसे/कि.वा.घ. में) |
|------------------|---------------------------|
| हाइड्रो | 236.19 |
| थर्मल (गैस सहित) | 331.87 |
| न्यूक्लियर | 266.53 |
| निजी क्षेत्र | 327.19 |
| राज्य क्षेत्र | 334.86 |
| केंद्रीय क्षेत्र | 294.71 |
| अखिल भारत | 317.61 |

राज्यों द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों सहित विभिन्न परिकल्पित खपतों पर केंद्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी/एसईआरसी) द्वारा निर्धारित प्रशुल्क के आधार पर आकलित विभिन्न वर्गीकृत उपभोक्ताओं की आकलित औसत विद्युत दर का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुसार उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 61 से 64 के तहत किया जाता है। जबकि केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन और पारेषण कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, राज्य के भीतर उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति के लिए प्रशुल्क राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वितरण लाइसेंसियों, दोनों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में दिशा-निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है जिस पर उपयुक्त आयोग को प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए विचार करना होता है।

(ख) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली विद्युत यूटिलिटियों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग) : कुछ देशों में घरों और उद्योग के लिए विद्युत मूल्य दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III पर है। भारत में, आपूर्ति की औसत लागत का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में विद्युत आपूर्ति की औसत लागत अधिकतर अन्य देशों की औसत लागत की तुलना में अधिक नहीं है।

(घ) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उपयुक्त नीतिगत कार्यवाही और कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्य में दक्षता को बढ़ावा दे रही है और उपभोक्ता के लिए विद्युत आपूर्ति की कुल लागत कम करने के विचार से वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। इन उपायों से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क की जानकारी के नीतिगत कार्यवाही सहित प्रशुल्क दरें कम करने की दिशा में योगदान मिलता है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उपभोक्ता श्रेणी-वार औसत प्रशुल्क, ए.पी. 2013-14

(पैसे/केडब्ल्यूएच)

| क्रम सं. | राज्य/ईडी | घरेलू | व्यावसायिक | कृषि/सिंचाई | औद्योगिक | रेलवे ट्रेक्सन | बाहरी राज्य | कुल औसत |
|----------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|----------------|-------------|---------|
| I | एसपीयू | | | | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 473.86 | 1128.49 | 44.25 | 535.88 | 553.91 | 0 | 547.21 |
| 2 | असम | 435 | 623 | 446.71 | 537 | 0 | 250 | 478.2 |
| 3 | बिहार | 328.9 | 799.25 | 410.55 | 671.12 | 679.65 | 435.75 | 515.66 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 286 | 590 | 154 | 480.82 | 541.18 | 281 | 335.09 |
| 5 | गुजरात | 462.05 | 595.58 | 217.86 | 607.9 | 633.29 | 387.46 | 462.78 |
| 6 | हरियाणा | 437.13 | 554.42 | 46.48 | 573.01 | 570.2 | 0 | 401.49 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 309.7 | 612.05 | 0 | 430.77 | 0 | 558.66 | 447.46 |
| 8 | जम्मू व कश्मीर | 181.56 | 348.8 | 168.5 | 340.92 | 0 | 0 | 386.36 |
| 9 | झारखण्ड | 236 | 595 | 74 | 632.24 | 610 | 0 | 415.9 |
| 10 | कर्नाटक | 422.84 | 784.31 | 306.73 | 610.18 | 0 | 0 | 476.92 |
| 11 | केरल | 281.09 | 777.12 | 172.94 | 567.86 | 505.29 | 0 | 441.99 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 474.7 | 716.51 | 350.7 | 580.61 | 736.5 | 0 | 423.52 |
| 13 | महाराष्ट्र | 524.21 | 1110.65 | 258.33 | 771.81 | 835.78 | 0 | 5832.3 |
| 14 | मेघालय | 313.59 | 474.28 | 179.41 | 429.38 | 0 | 236.57 | 378.74 |
| 15 | पंजाब | 424.23 | 616.84 | 0 | 586.68 | 613.79 | 43.25 | 367.3 |
| 16 | राजस्थान | 549.6 | 729.44 | 180.57 | 582.25 | 535.98 | 417.1 | 429.65 |
| 17 | तमिलनाडु | 255.53 | 856.29 | 0 | 735.76 | 0 | 325 | 493.26 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 435.06 | 463.59 | 224.18 | 736.35 | 747.72 | 0 | 508.83 |
| 19 | उत्तराखण्ड | 283.16 | 450.13 | 228.65 | 413.46 | 502.14 | 0 | 383.64 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 540.25 | 716.02 | 415.22 | 65045 | 710.87 | 172.29 | 580.85 |
| | एसईबी का औसत | 410.55 | 770.10 | 183.09 | 628.11 | 663.85 | 324.10 | 481.25 |
| II. | ईडी | | | | | | | |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 360 | 449.85 | 0 | 336.54 | 0 | 350 | 358.65 |
| 2 | गोवा | 149.54 | 268.01 | 106.11 | 488.62 | 0 | 405.26 | 368.46 |
| 3 | मणिपुर | 256.37 | 344.64 | 165.19 | 257.2 | 0 | 211.71 | 282.05 |
| 4 | मिजोरम | 322.66 | 496.34 | 0 | 474.12 | 0 | 375 | 452.51 |
| 5 | नागालैंड | 340 | 450 | 0 | 350.29 | 0 | 300 | 382.94 |
| 6 | पुडुचेरी | 137.89 | 476.71 | 2.83 | 481.67 | 0 | 334.58 | 375.64 |
| 7 | सिक्किम | 270.06 | 491.96 | 0 | 639.98 | 0 | 252.73 | 305.87 |
| 8 | त्रिपुरा | 344 | 491 | 554.59 | 518.4 | 0 | 422.02 | 475.28 |
| | ईडी का औसत | 230.24 | 364.00 | 125.90 | 479.20 | 0.00 | 338.07 | 379.80 |
| | अखिल भारतीय औसत | 407.84 | 764.00 | 183.06 | 625.89 | 663.85 | 325.01 | 479.84 |

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए लाभकारिता

करोड़ रुपए में

| क्षेत्र | राज्य | यूटिलिटी | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | कर के बाद लाभ | सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ | कर के बाद लाभ | सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ | कर के बाद लाभ | सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ |
| पूर्वी | बिहार | बीएसईबी | (1,332) | (1,332) | (2,662) | (2,662) | (1,088) | (1,088) |
| | | एनबीपीडीसीएल | | 0 | | 0 | (56) | (56) |
| | | एसबीपीडीसीएल | | 0 | | 0 | (84) | (84) |
| | बिहार कुल | | (1,332) | (1,332) | (2,662) | (2,662) | (1,227) | (1,227) |
| | झारखंड | जेएसईबी | (723) | (723) | (3,211) | (3,211) | (875) | (875) |
| | झारखंड कुल | | (723) | (723) | (3,211) | (3,211) | (875) | (875) |
| | सिक्किम | सिक्किम पीडी | (23) | (23) | (17) | (17) | 39 | 39 |
| | सिक्किम कुल | | (23) | (23) | (17) | (17) | 39 | 39 |
| | पश्चिम बंगाल | डब्ल्यू बीएसईडीसीएल | 95 | 95 | 73 | 73 | 82 | 82 |
| | पश्चिम बंगाल कुल | | 95 | 95 | 73 | 73 | 82 | 82 |
| | ओडिशा | एनईएससीओ | (72) | (72) | (92) | (92) | (77) | (77) |
| | | एसईएससीओ | (19) | (19) | (22) | (22) | (34) | (34) |
| | | डब्ल्यूईएससीओ | (38) | (38) | (52) | (52) | (132) | (132) |
| | | सीईएसयू | (87) | (87) | (257) | (257) | (316) | (316) |
| | ओडिशा कुल | | (215) | (215) | (423) | (423) | (559) | (559) |
| पूर्वी कुल | | | (2,198) | (2,198) | (6,240) | (6,240) | (2,540) | (2,540) |
| पूर्वोत्तर | अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश पीडी | (182) | (182) | (274) | (274) | (255) | (255) |
| | अरुणाचल प्रदेश कुल | | (182) | (182) | (274) | (274) | (255) | (255) |
| | असम | एपीडीसीएल | (486) | (486) | (408) | (558) | (418) | (568) |
| | असम कुल | | (486) | (486) | (408) | (558) | (418) | (568) |
| | मणिपुर | मणिपुर पीडी | (204) | (204) | (307) | (307) | (315) | (315) |
| | मणिपुर कुल | | (204) | (204) | (307) | (307) | (315) | (315) |
| | मेघालय | एमईईसीएल | (91) | (91) | (195) | (195) | | 0 |
| | | एमईपीडीसीएल | | 0 | | 0 | (63) | (63) |
| | मेघालय कुल | | (91) | (91) | (195) | (195) | (63) | (63) |
| | मिजोरम | मिजोरम पीडी | (158) | (158) | (126) | (126) | (201) | (201) |
| | मिजोरम कुल | | (158) | (158) | (126) | (126) | (201) | (201) |
| | नागालैंड | नागालैंड पीडी | (179) | (179) | (214) | (214) | (212) | (212) |
| | नागालैंड कुल | | (179) | (179) | (214) | (214) | (212) | (212) |
| | त्रिपुरा | टीएसईसीएल | (126) | (130) | (157) | (157) | (166) | (166) |
| | त्रिपुरा कुल | | (126) | (130) | (157) | (157) | (166) | (166) |
| पूर्वोत्तर कुल | | | (1,427) | (1,431) | (1,681) | (1,831) | (1,630) | (1,780) |
| उत्तरी | दिल्ली | बीएसईएस राजधानी | 388 | 388 | 121 | 121 | 21 | 21 |
| | | बीएसईएस यमुना | 155 | 155 | 21 | 21 | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | टीपीडीडीएल | 258 | 258 | 339 | 339 | 310 | 310 | |
| | दिल्ली कुल | | 801 | 801 | 481 | 481 | 356 | 356 | |
| | हरियाणा | डीएचबीवीएनएल | (792) | (955) | (4,599) | (4,599) | (1,352) | (1,352) | |
| | | यूएचबीवीएनएल | (129) | (129) | (8,604) | (8,604) | (2,297) | (2,297) | |
| | हरियाणा कुल | | (921) | (1,084) | (13,203) | (13,203) | (3,649) | (3,649) | |
| | हिमाचल प्रदेश | एचपीएसईबी | (122) | (122) | | 0 | | 0 | |
| | | एचपीएसईबी लि. | (380) | (380) | (513) | (513) | (542) | (542) | |
| | हिमाचल प्रदेश कुल | | (502) | (502) | (513) | (513) | (542) | (542) | |
| | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू एवं कश्मीर पीडीडी | (2,167) | (2,167) | (3,037) | (3,037) | (3,129) | (3,129) | |
| | जम्मू एवं कश्मीर कुल | | (2,167) | (2,167) | (3,037) | (3,037) | (3,129) | (3,129) | |
| | पंजाब | पीएसपीसीएल | (1,640) | (1,640) | (537) | (459) | 296 | 51 | |
| | पंजाब कुल | | (1,640) | (1,640) | (537) | (459) | 296 | 51 | |
| | राजस्थान | एवीवीएनएल | (6,907) | (6,907) | (7,596) | (7,596) | (3,905) | (3,905) | |
| | | जेडीवीवीएनएल | (6,827) | (6,827) | (6,179) | (6,179) | (4,285) | (4,285) | |
| | | जेवीवीएनएल | (7,636) | (7,636) | (5,797) | (5,797) | (4,161) | (4,161) | |
| | राजस्थान कुल | | (21,370) | (21,370) | (19,572) | (19,572) | (12,351) | (12,351) | |
| | उत्तर प्रदेश | डीवीवीएन | (1,322) | (1,322) | (2,840) | (2,840) | (3,364) | (3,364) | |
| | | केईएससीओ | (182) | (182) | (384) | (384) | (545) | (545) | |
| | | एमवीवीएन | (742) | (742) | (1,765) | (1,765) | (2,033) | (2,033) | |
| | | पश्चिम वीवीएन | (453) | (453) | (1,992) | (1,992) | (1,303) | (1,303) | |
| | | पूर्व वीवीएन | (1,268) | (1,268) | (2,244) | (2,244) | (2,533) | (2,533) | |
| | उत्तर प्रदेश कुल | | (3,966) | (3,966) | (9,224) | (9,224) | (9,778) | (9,778) | |
| | उत्तराखंड | उत्तराखंड पीसीएल | (204) | (204) | (55) | (55) | (13) | (13) | |
| | उत्तराखंड कुल | | (204) | (204) | (55) | (55) | (13) | (13) | |
| | उत्तरी कुल | | (29,969) | (30,132) | (45,660) | (45,582) | (28,811) | (29,056) | |
| | दक्षिणी | आंध्र प्रदेश | एपीसीपीडीसीएल | 3 | (778) | 4 | (1,476) | (7,718) | (7,718) |
| | | एपीईपीडीसीएल | 13 | (572) | 25 | (963) | (1,681) | (1,681) | |
| | | एपीएनपीडीसीएल | 7 | (409) | 3 | (874) | (3,436) | (3,445) | |
| | | एपीएसपीडीसीएल | 3 | (418) | 6 | (710) | (4,673) | (4,678) | |
| | आंध्र प्रदेश कुल | | 26 | (2,178) | 38 | (4,022) | (17,508) | (17,522) | |
| | कर्नाटक | बीईएससीओएम | 0 | 0 | 118 | 107 | (433) | (433) | |
| | | सीएचईएससीओएम | 11 | 11 | (123) | (269) | (270) | (337) | |
| | | जीईएससीओएम | 61 | 61 | (5) | 34 | (189) | (189) | |
| | | एचईएससीओएम | (65) | (65) | 40 | 40 | 41 | 41 | |
| | | एमईएससीओएम | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
| | कर्नाटक कुल | | 10 | 10 | 36 | (82) | (838) | (905) | |
| | केरल | केएसईबी | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| | केरल कुल | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| | पुडुच्चेरी | पुडुच्चेरी पीडी | (134) | (134) | (164) | (164) | (308) | (308) | |
| | पुडुच्चेरी कुल | | (134) | (134) | (164) | (164) | (308) | (308) | |
| | तमिलनाडु | टीएनईबी | (6,273) | (6,273) | | 0 | | 0 | |
| | | टीएएनजीईडीसीओ | (5,634) | (5,634) | (13,321) | (13,308) | (11,679) | (12,064) | |
| | तमिलनाडु कुल | | (11,907) | (11,907) | (13,321) | (13,308) | (11,679) | (12,064) | |
| | दक्षिणी कुल | | (11,764) | (13,967) | (13,171) | (17,337) | (30,092) | (30,559) | |
| | पश्चिमी | छत्तीसगढ़ | सीएसपीडीसीएल | (581) | (581) | (2,012) | (2,012) | (498) | (498) |
| | छत्तीसगढ़ कुल | | (581) | (581) | (2,012) | (2,012) | (498) | (498) | |
| | गोवा | गोवा पीडी | (79) | (79) | (271) | (271) | (285) | (285) | |
| | गोवा कुल | | (79) | (79) | (271) | (271) | (285) | (285) | |
| | गुजरात | डीजीवीसीएल | 63 | 63 | 76 | 76 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | एमजीवीसीएल | 25 | 25 | 36 | 36 | 21 | 21 |
| | | पीजीवीसीएल | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| | | यूजीवीसीएल | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| | गुजरात कुल | | 103 | 103 | 134 | 134 | 71 | 71 |
| | मध्य प्रदेश | एमपी मध्य क्षेत्रवीसीएल | (605) | (605) | (1,129) | (1,129) | (1,593) | (1,595) |
| | | एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल | (578) | (578) | (624) | (624) | (1,425) | (1,425) |
| | | एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल | (974) | (974) | (1,167) | (1,167) | (1,432) | (1,432) |
| | मध्य प्रदेश कुल | | (2,157) | (2,157) | (2,920) | (2,920) | (4,450) | (4,452) |
| | महाराष्ट्र | एमएसईडीसीएल | (1,505) | (1,505) | (808) | (808) | (871) | (871) |
| | महाराष्ट्र कुल | | (1,505) | (1,505) | (808) | (808) | (871) | (871) |
| | पश्चिमी कुल | | (4,219) | (4,219) | (5,877) | (5,877) | (6,034) | (6,036) |
| | सकल योग | | (49,577) | (51,948) | (72,629) | (76,867) | (69,108) | (69,972) |

अनुबन्ध-III

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| चुने हुए देशों के घरों के लिए विद्युत कीमतें (यू.एस. डॉलर प्रति किलोवाट घंटा) | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| अंतिम स्थिति: 10 जून, 2010 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| देश | | | | | | | | |
| अर्जेंटीना | उपलब्ध नहीं | 0.023 | उपलब्ध नहीं |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.091 | 0.092 | 0.094 | 0.098 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ऑस्ट्रिया | 0.144 | 0.154 | 0.152 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 0.178 | 0.201 |
| कनाडा | 0.067 | 0.069 | 0.070 | 0.071 | 0.076 | 0.078 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| चीले | उपलब्ध नहीं | 0.140 | 0.195 |
| चीन | उपलब्ध नहीं |
| चाइनीस ताइपेई (ताइवान) | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.079 | 0.080 | 0.086 |
| इंडोनेशिया | 0.025 | 0.042 | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.061 |
| कोरिया, दक्षिण | 0.071 | 0.070 | 0.074 | 0.079 | 0.089 | 0.098 | 0.102 | 0.089 |
| दक्षिण अफ्रीका | 0.036 | 0.032 | 0.048 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| थाइलैंड | 0.060 | 0.063 | 0.064 | 0.070 | 0.072 | 0.085 | 0.091 | 0.094 |
| टर्की | 0.084 | 0.099 | 0.106 | 0.111 | 0.118 | 0.111 | 0.122 | 0.165 |

एकचेंज दरों का उपयोग करते हुए परिवर्तित कर/मूल्यों में राज्य में और स्थानीय कर, ऊर्जा और मांग प्रभार, ग्राहकसेवा प्रभार, पर्यावरणीय अधिभार, फ्रेन्चाइजी शुल्क, ईंधन समायोजन और सामान्य बिल प्रचालन के दौरान अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक पर लागू अन्य विविध प्रभार शामिल होते हैं। मूल्यों में अलग प्रभार, ऋण अथवा अन्य समायोजन जैसे पूर्व में रिपोर्ट की गई अवधि से ईंधन अथवा खरीदी गई विद्युत से प्राप्त राजस्व शामिल नहीं है।

एनए = उपलब्ध नहीं

स्रोत: तालिका 9.9. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऊर्जा कीमतें एवं कर - तिमाही स्थिति, चौथी तिमाही 2009, भाग II, खण्ड घ, तालिका 22, और भाग III, खण्ड ख, तालिका 19, 2008.

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 627 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत में आपूर्ति की औसत लागत

| देश | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| भारत (रुपए/केडब्ल्यूएच) | 2.46 | 2.46 | 2.39 | 2.39 | 2.54 | 2.6 | 2.76 | 2.93 | 3.4 | 3.55 | 3.97 | 4.39 |
| | (0.0403)* | (0.0403)* | (0.0392)* | (0.0392)* | (0.0416)* | (0.0426)* | (0.0452)* | (0.0480)* | (0.0557)* | (0.0582)* | (0.0651)* | (0.0720)* |

* रूपांतरण दर यूएम \$ = 61.00 रुपए

स्रोत : पीएफसी

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-630

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की आपूर्ति और मांग

630. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री पी. करुणाकरन:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री राजन विचारे:
श्री राजेश रंजन:
श्री बी. श्रीरामुलु:
श्री प्रेम सिंह चन्दुमाजरा:
श्री रवनीत सिंह:
श्री रायपति सम्बसिवा राव:
श्रीमती रंजीत रंजन:
श्री संजय काका पाटील:
श्री नलीन कुमार कटील:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री विनसंट एच. पाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विद्युत की कुल मांग/आपूर्ति कितनी रही और विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निर्धारित /हासिल किए गए लक्ष्य क्या रहे और अगली पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित आंकड़े क्या हैं;
- (ख) इस काम के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और कितनी धनराशि जारी की गई/जारी की जाएगी और किन-किन स्रोतों से वित्त जुटाया जाएगा;
- (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल से विद्युत की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मांग और आपूर्ति कितनी रही और केंद्रीय विद्युत उत्पादक राज्यों से कम विद्युत वाले राज्यों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सभी को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए राज्यों से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ड) इस संबंध में लक्षित तिथि तक सभी को उचित मूल्य पर 24 घंटे और निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष अर्थात् 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015) के दौरान देश में ऊर्जा एवं व्यस्ततम के संबंध में विद्युत की राज्यवार/संघ क्षेत्रवार कुल मांग एवं आपूर्ति अनुबंध-I में है।

12वीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में परंपरागत (ताप, जल विद्युत और नाभिकीय) स्रोतों से विद्युत उत्पादन में निर्धारित/हासिल किए गए राज्य/संघ क्षेत्रवार लक्ष्य अनुबंध-II में हैं।

12वीं योजना के शेष वर्षों और अगली योजना के लिए देश में 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित मांग अनुबंध-III में है। देश में उत्पादन लक्ष्य प्रत्येक वर्ष के आरंभ से पूर्व वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 के लिए उत्पादन लक्ष्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ख) : चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक गैरलाइसेंसीकृत कार्य है। इसलिए उत्पादन परियोजना विकासकर्ता परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था करता है।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मांग एवं आपूर्ति अनुबंध-IV में है।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में परंपरागत स्रोतों से 26,182 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है जिसमें से 10,521 मेगावाट क्षमता दिनांक 31.01.2015 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है।
- (ii) अंतरराज्यीय पारेषण क्षमता का विकास।
- (iii) संयंत्र भार घटक को सुधारने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में पुराने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम)।
- (iv) देशी कोयला उपलब्धता में अंतर को ताप संयंत्रों द्वारा अधिक उत्पादन के लिए बढ़े हुए कोयला उत्पादन और कोयला आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों के परामर्श से एक संयुक्त पहल भी की है। सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश के संबंध में राज्य विशेष दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अपने प्रचालन के क्षेत्र में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाना वितरण लाइसेंस का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। हाल ही में भारत सरकार ने वितरण एवं पारेषण अवसंरचना को सुधारने के लिए निधियां उपलब्ध करवाने हेतु एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को अनुमोदन प्रदान किया है।

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, इन स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाएं यूटिलिटी द्वारा (अवार्ड पत्र) (एलओए) जारी करने की तारीख से 24 माह की अवधि के भीतर पूरी की जानी है।

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 630 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

| राज्य / सिस्टम / क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| | अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013 | | | | अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013 | | | |
| | आवश्यकता (एमयू) | उपलब्धता (एमयू) | अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%) | | व्यस्ततम मांग (मेगावाट) | व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट) | अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%) | |
| चंडीगढ़ | 1,637 | 1,637 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 26,088 | 25,950 | -138 | -0.5 | 5,942 | 5,642 | -300 | -5.0 |
| हरियाणा | 41,407 | 38,209 | -3,198 | -7.7 | 7,432 | 6,725 | -707 | -9.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 8,992 | 8,744 | -248 | -2.8 | 2,116 | 1,672 | -444 | -21.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 15,410 | 11,558 | -3,852 | -25.0 | 2,422 | 1,817 | -605 | -25.0 |
| पंजाब | 48,724 | 46,119 | -2,605 | -5.3 | 11,520 | 8,751 | -2,769 | -24.0 |
| राजस्थान | 55,538 | 53,868 | -1,670 | -3.0 | 8,940 | 8,515 | -425 | -4.8 |
| उत्तर प्रदेश | 91,647 | 76,446 | -15,201 | -16.6 | 13,940 | 12,048 | -1,892 | -13.6 |
| उत्तराखण्ड | 11,331 | 10,709 | -622 | -5.5 | 1,759 | 1,674 | -85 | -4.8 |
| उत्तरी क्षेत्र | 3,00,774 | 2,73,240 | -27,534 | -9.2 | 45,860 | 41,790 | -4,070 | -8.9 |
| छत्तीसगढ़ | 17,302 | 17,003 | -299 | -1.7 | 3,271 | 3,134 | -137 | -4.2 |
| गुजरात | 93,662 | 93,513 | -149 | -0.2 | 11,999 | 11,960 | -39 | -0.3 |
| मध्य प्रदेश | 49,226 | 44,272 | -4,954 | -10.1 | 10,077 | 9,462 | -615 | -6.1 |
| महाराष्ट्र | 1,23,984 | 1,19,972 | -4,012 | -3.2 | 17,934 | 16,765 | -1,169 | -6.5 |
| दमन एवं दीव | 1,991 | 1,860 | -131 | -6.6 | 311 | 286 | -25 | -8.0 |
| दादर नागर हवेली | 4,572 | 4,399 | -173 | -3.8 | 629 | 629 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 3,181 | 3,107 | -74 | -2.3 | 524 | 475 | -49 | -9.4 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 2,93,918 | 2,84,126 | -9,792 | -3.3 | 40,075 | 39,486 | -589 | -1.5 |
| आंध्र प्रदेश | 99,692 | 82,171 | -17,521 | -17.6 | 14,582 | 11,630 | -2,952 | -20.2 |
| कर्नाटक | 66,274 | 57,044 | -9,230 | -13.9 | 10,124 | 8,761 | -1,363 | -13.5 |
| केरल | 21,243 | 20,391 | -852 | -4.0 | 3,578 | 3,262 | -316 | -8.8 |
| तमिलनाडु | 92,302 | 76,161 | -16,141 | -17.5 | 12,736 | 11,053 | -1,683 | -13.2 |
| पुडुचेरी | 2,331 | 2,291 | -40 | -1.7 | 348 | 320 | -28 | -8.0 |
| लक्षद्वीप | 36 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 2,81,842 | 2,38,058 | -43,784 | -15.5 | 38,767 | 31,586 | -7,181 | -18.5 |
| बिहार | 15,409 | 12,835 | -2,574 | -16.7 | 2,295 | 1,784 | -511 | -22.3 |
| डीवीसी | 17,299 | 16,339 | -960 | -5.5 | 2,573 | 2,469 | -104 | -4.0 |
| झारखण्ड | 7,042 | 6,765 | -277 | -3.9 | 1,263 | 1,172 | -91 | -7.2 |
| ओडिशा | 25,155 | 24,320 | -835 | -3.3 | 3,968 | 3,694 | -274 | -6.9 |
| पश्चिम बंगाल | 42,143 | 41,842 | -301 | -0.7 | 7,322 | 7,249 | -73 | -1.0 |
| सिक्किम | 409 | 409 | 0 | 0.0 | 95 | 95 | 0 | 0.0 |
| अंडमान-निकोबार | 241 | 186 | -55 | -23 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1,07,457 | 1,02,510 | -4,947 | -4.6 | 16,655 | 15,415 | -1,240 | -7.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 589 | 554 | -35 | -5.9 | 116 | 114 | -2 | -1.7 |
| असम | 6,495 | 6,048 | -447 | -6.9 | 1,197 | 1,148 | -49 | -4.1 |
| मणिपुर | 574 | 543 | -31 | -5.4 | 122 | 120 | -2 | -1.6 |
| मेघालय | 1,828 | 1,607 | -221 | -12.1 | 334 | 330 | -4 | -1.2 |
| मिजोरम | 406 | 378 | -28 | -6.9 | 75 | 73 | -2 | -2.7 |
| नागालैंड | 567 | 535 | -32 | -5.6 | 110 | 109 | -1 | -0.9 |
| त्रिपुरा | 1,108 | 1,054 | -54 | -4.9 | 229 | 228 | -1 | -0.4 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 11,566 | 10,718 | -848 | -7.3 | 1,998 | 1,864 | -134 | -6.7 |
| अखिल भारत | 9,95,557 | 9,08,652 | -86,905 | -8.7 | 1,35,453 | 1,23,294 | -12,159 | -9.0 |

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

| राज्य / सिस्टम / क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------|----------------|-------|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| | अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014 | | | | अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014 | | | |
| | आवश्यकता | उपलब्धता | अधिशेष/कमी (-) | | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | अधिशेष/कमी (-) | |
| | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| चंडीगढ़ | 1,574 | 1,574 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 26,867 | 26,791 | -76 | -0.3 | 6,035 | 5,653 | -382 | -6.3 |
| हरियाणा | 43,463 | 43,213 | -250 | -0.6 | 8,114 | 8,114 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 9,089 | 8,883 | -206 | -2.3 | 1,561 | 1,392 | -169 | -10.8 |
| जम्मू व कश्मीर | 15,613 | 12,187 | -3,426 | -21.9 | 2,500 | 1,998 | -502 | -20.1 |
| पंजाब | 47,821 | 47,084 | -737 | -1.5 | 10,089 | 8,733 | -1,356 | -13.4 |
| राजस्थान | 58,202 | 58,042 | -160 | -0.3 | 10,047 | 10,038 | -9 | -0.1 |
| उत्तर प्रदेश | 94,890 | 81,613 | -13,277 | -14.0 | 13,089 | 12,327 | -762 | -5.8 |
| उत्तराखण्ड | 11,944 | 11,493 | -451 | -3.8 | 1,826 | 1,826 | 0 | 0.0 |
| उत्तरी क्षेत्र | 3,09,463 | 2,90,880 | -18,583 | -6.0 | 45,934 | 42,774 | -3,160 | -6.9 |
| छत्तीसगढ़ | 18,932 | 18,800 | -132 | -0.7 | 3,365 | 3,320 | -45 | -1.3 |
| गुजरात | 88,497 | 88,488 | -9 | 0.0 | 12,201 | 12,201 | 0 | 0.0 |
| मध्य प्रदेश | 49,410 | 49,385 | -25 | -0.1 | 9,716 | 9,716 | 0 | 0.0 |
| महाराष्ट्र | 1,26,288 | 1,23,672 | -2,616 | -2.1 | 19,276 | 17,621 | -1,655 | -8.6 |
| दमन एवं दीव | 2,252 | 2,252 | 0 | 0.0 | 322 | 297 | -25 | -7.8 |
| दादर नागर हवेली | 5,390 | 5,388 | -2 | 0.0 | 661 | 661 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 3,890 | 3,871 | -19 | -0.5 | 529 | 529 | 0 | 0.0 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 2,94,659 | 2,91,856 | -2,803 | -1.0 | 41,335 | 40,331 | -1,004 | -2.4 |
| आंध्र प्रदेश | 95,662 | 89,036 | -6,626 | -6.9 | 14,072 | 13,162 | -910 | -6.5 |
| कर्नाटक | 64,150 | 58,052 | -6,098 | -9.5 | 9,940 | 9,223 | -717 | -7.2 |
| केरल | 21,577 | 21,052 | -525 | -2.4 | 3,671 | 3,573 | -98 | -2.7 |
| तमिलनाडु | 93,508 | 87,980 | -5,528 | -5.9 | 13,522 | 12,492 | -1,030 | -7.6 |
| पुडुचेरी | 2,344 | 2,320 | -24 | -1.0 | 351 | 333 | -18 | -5.1 |
| लक्षद्वीप | 48 | 48 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 2,77,245 | 2,58,444 | -18,801 | -6.8 | 39,015 | 36,048 | -2,967 | -7.6 |
| बिहार | 15,391 | 14,759 | -632 | -4.1 | 2,465 | 2,312 | -153 | -6.2 |
| डीवीसी | 17,407 | 17,296 | -111 | -0.6 | 2,745 | 2,745 | 0 | 0.0 |
| झारखण्ड | 7,143 | 7,007 | -136 | -1.9 | 1,111 | 1,069 | -42 | -3.8 |
| ओडिशा | 24,958 | 24,546 | -412 | -1.7 | 3,727 | 3,722 | -5 | -0.1 |
| पश्चिम बंगाल | 42,891 | 42,762 | -129 | -0.3 | 7,325 | 7,294 | -31 | -0.4 |
| सिक्किम | 413 | 413 | 0 | 0.0 | 90 | 90 | 0 | 0.0 |
| अंडमान-निकोबार | 240 | 180 | -60 | -25 | 40 | 32 | -8 | -20 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1,08,203 | 1,06,783 | -1,420 | -1.3 | 15,888 | 15,598 | -290 | -1.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 552 | 517 | -35 | -6.3 | 125 | 124 | -1 | -0.8 |
| असम | 7,544 | 7,062 | -482 | -6.4 | 1,329 | 1,220 | -109 | -8.2 |
| मणिपुर | 579 | 548 | -31 | -5.4 | 134 | 133 | -1 | -0.7 |
| मेघालय | 1,794 | 1,604 | -190 | -10.6 | 343 | 330 | -13 | -3.8 |
| मिजोरम | 446 | 430 | -16 | -3.6 | 84 | 82 | -2 | -2.4 |
| नागालैंड | 577 | 561 | -16 | -2.8 | 109 | 106 | -3 | -2.8 |
| त्रिपुरा | 1,195 | 1,144 | -51 | -4.3 | 254 | 250 | -4 | -1.6 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 12,687 | 11,866 | -821 | -6.5 | 2,164 | 2,048 | -116 | -5.4 |
| अखिल भारत | 10,02,257 | 9,59,829 | -42,428 | -4.2 | 1,35,918 | 1,29,815 | -6,103 | -4.5 |

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है. इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

| राज्य / सिस्टम / क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|
| | अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015 | | | | अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015 | | | |
| | आवश्यकता (एमयू) | उपलब्धता (एमयू) | अधिशेष/कमी(-) (एमयू) (%) | | व्यस्ततम मांग (मेगावाट) | व्यस्ततम मांग (मेगावाट) | अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट) (%) | |
| चंडीगढ़ | 1,416 | 1,416 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 25,603 | 25,488 | -115 | -0.4 | 6,006 | 5,925 | -81 | -1.3 |
| हरियाणा | 39,872 | 39,688 | -184 | -0.5 | 9,152 | 9,152 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 7,422 | 7,350 | -72 | -1.0 | 1,417 | 1,403 | -14 | -1.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 13,938 | 11,153 | -2,785 | -20.0 | 2,554 | 2,043 | -511 | -20.0 |
| पंजाब | 42,805 | 42,322 | -483 | -1.1 | 11,534 | 10,023 | -1,511 | -13.1 |
| राजस्थान | 55,258 | 54,812 | -446 | -0.8 | 10,642 | 10,642 | 0 | 0.0 |
| उत्तर प्रदेश | 88,975 | 74,503 | -14,472 | -16.3 | 15,670 | 13,003 | -2,667 | -17.0 |
| उत्तराखण्ड | 10,497 | 10,162 | -335 | -3.2 | 1,930 | 1,930 | 0 | 0.0 |
| उत्तरी क्षेत्र | 2,85,786 | 2,66,894 | -18,892 | -6.6 | 51,977 | 47,642 | -4,335 | -8.3 |
| छत्तीसगढ़ | 17,481 | 17,262 | -219 | -1.3 | 3,480 | 3,350 | -130 | -3.7 |
| गुजरात | 80,673 | 80,649 | -24 | 0.0 | 13,603 | 13,499 | -104 | -0.8 |
| मध्य प्रदेश | 46,039 | 45,747 | -292 | -0.6 | 9,755 | 9,717 | -38 | -0.4 |
| महाराष्ट्र | 1,14,775 | 1,13,168 | -1,607 | -1.4 | 20,147 | 19,654 | -493 | -2.4 |
| दमन एवं दीव | 1,760 | 1,760 | 0 | 0.0 | 297 | 297 | 0 | 0.0 |
| दादर नागर हवेली | 4,516 | 4,514 | -2 | 0.0 | 688 | 688 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 3,349 | 3,313 | -36 | -1.1 | 501 | 489 | -12 | -2.4 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 2,68,593 | 2,66,413 | -2,180 | -0.8 | 44,166 | 43,035 | -1,131 | -2.6 |
| आंध्र प्रदेश | 50,647 | 47,775 | -2,872 | -5.7 | 7,144 | 6,549 | -595 | -8.3 |
| तेलंगाना | 34,543 | 32,043 | -2,500 | -7.2 | 7,884 | 6,682 | -1,202 | -15.2 |
| कर्नाटक | 51,268 | 48,838 | -2,430 | -4.7 | 10,001 | 9,503 | -498 | -5.0 |
| केरल | 18,544 | 18,242 | -302 | -1.6 | 3,760 | 3,495 | -265 | -7.0 |
| तमिलनाडु | 79,415 | 76,933 | -2,482 | -3.1 | 13,663 | 13,498 | -165 | -1.2 |
| पुडुचेरी | 2,010 | 1,984 | -26 | -1.3 | 389 | 348 | -41 | -10.5 |
| लक्षद्वीप | 40 | 40 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 2,36,427 | 2,25,815 | -10,612 | -4.5 | 39,094 | 35,698 | -3,396 | -8.7 |
| बिहार | 16,031 | 15,571 | -460 | -2.9 | 2,992 | 2,792 | -200 | -6.7 |
| डीवीसी | 15,294 | 14,867 | -427 | -2.8 | 2,653 | 2,590 | -63 | -2.4 |
| झारखण्ड | 6,440 | 6,274 | -166 | -2.6 | 1,101 | 1,079 | -22 | -2.0 |
| ओडिशा | 22,332 | 21,947 | -385 | -1.7 | 3,814 | 3,764 | -50 | -1.3 |
| पश्चिम बंगाल | 39,792 | 39,575 | -217 | -0.5 | 7,544 | 7,524 | -20 | -0.3 |
| सिक्किम | 332 | 332 | 0 | 0.0 | 83 | 83 | 0 | 0.0 |
| अंडमान-निकोबार | 200 | 150 | -50 | -25 | 40 | 32 | -8 | -20 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1,00,221 | 98,566 | -1,655 | -1.7 | 16,909 | 16,609 | -300 | -1.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 586 | 512 | -74 | -12.6 | 139 | 126 | -13 | -9.4 |
| असम | 7,289 | 6,709 | -580 | -8.0 | 1,450 | 1,257 | -193 | -13.3 |
| मणिपुर | 590 | 565 | -25 | -4.2 | 150 | 144 | -6 | -4.0 |
| मेघालय | 1,588 | 1,339 | -249 | -15.7 | 370 | 367 | -3 | -0.8 |
| मिजोरम | 382 | 355 | -27 | -7.1 | 90 | 88 | -2 | -2.2 |
| नागालैंड | 561 | 537 | -24 | -4.3 | 140 | 123 | -17 | -12.1 |
| त्रिपुरा | 1,081 | 886 | -195 | -18.0 | 310 | 266 | -44 | -14.2 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 12,077 | 10,903 | -1,174 | -9.7 | 2,528 | 2,202 | -326 | -12.9 |
| अखिल भारत | 9,03,104 | 8,68,591 | -34,513 | -3.8 | 1,48,166 | 1,41,160 | -7,006 | -4.7 |

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम हैं. इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हैं।

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 630 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| राज्य | 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता | 2014-15 (जनवरी, 15 तक)* | | 2013-14 | | 2012-13 | |
|----------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | कार्यक्रम एमयू | उत्पादन एमयू | कार्यक्रम एमयू | उत्पादन एमयू | कार्यक्रम एमयू | उत्पादन एमयू |
| बीबीएमबी | 2884.3 | 8171 | 9313.37 | 9665 | 12125.01 | 10023 | 10944.67 |
| दिल्ली | 3048.4 | 7585 | 7659.04 | 9832 | 8637.67 | 10749 | 10740.93 |
| हरियाणा | 6411.59 | 24665 | 24847.17 | 36531 | 26374.22 | 30182 | 25416.04 |
| हिमाचल प्रदेश | 5797.02 | 21156.2 | 21582.53 | 21612 | 21680.66 | 20657 | 20331.49 |
| जम्मू व कश्मीर | 2844 | 11072 | 12762.01 | 12927 | 12426.79 | 12436 | 12485.81 |
| पंजाब | 5731 | 22462 | 20361.98 | 23517 | 20731.49 | 22638 | 21938.16 |
| राजस्थान | 9854.13 | 40619 | 45511.38 | 42243 | 45851.36 | 41766 | 42365.83 |
| उत्तर प्रदेश | 18517.74 | 95064 | 94498.44 | 111686 | 111843.01 | 104160 | 104346.72 |
| उत्तराखण्ड | 3426.35 | 10273.5 | 10080.63 | 11905 | 11025.01 | 11845 | 12438.79 |
| छत्तीसगढ़ | 14763 | 64258 | 66148.59 | 69082 | 70930.12 | 65068 | 68115.77 |
| गोवा | 48 | 213 | 12.61 | 254 | 241.32 | 254 | 245.41 |
| गुजरात | 25415.41 | 83021 | 89526.04 | 95817 | 97198.69 | 86062 | 90991.22 |
| मध्य प्रदेश | 16080 | 53815 | 62185.69 | 54841 | 59646.87 | 49587 | 50695.53 |
| महाराष्ट्र | 26945 | 82985 | 90395.89 | 100628 | 94699.94 | 95822 | 92134.91 |
| आंध्र प्रदेश | 18433.05 | 71031 | 71588.97 | 84445 | 85428.09 | 90680 | 87167.25 |
| कर्नाटक | 9479.82 | 41298 | 40559.97 | 47541 | 49188.73 | 46289 | 43946.42 |
| केरल | 2649.68 | 6029 | 6934.88 | 7644 | 9249.8 | 8206 | 6867.66 |
| पुडुचेरी | 32.5 | 200 | 102.14 | 230 | 256.97 | 257 | 230.76 |
| तमिलनाडु | 15210.2 | 60051 | 57266.49 | 58788 | 62210.7 | 57031 | 53693.92 |
| अंडमान निकोबार | 40.05 | 126 | 146.2 | 100 | 171.49 | 100 | 135.81 |
| बिहार | 3430 | 14383 | 14742.58 | 15810 | 14939.36 | 14442 | 14707.45 |
| डीवीसी | 7033.2 | 28178 | 21399.58 | 33583 | 28115.29 | 28521 | 26277.21 |
| झारखण्ड | 3270 | 13028 | 12318.07 | 14579 | 14345.18 | 10129 | 11520.07 |
| ओडिशा | 9957.5 | 37850 | 42212.04 | 42672 | 45639.6 | 43819 | 41663.62 |
| सिक्किम | 669 | 3092 | 3135.92 | 3378 | 2945.38 | 2844 | 2596.5 |
| पश्चिम बंगाल | 9824 | 39955 | 41223.15 | 51572 | 46069.88 | 52244 | 46828.54 |
| अरुणाचल प्रदेश | 405 | 1115 | 1056.74 | 1250 | 980.94 | 1300 | 1239.94 |
| असम | 952.2 | 3559 | 3684.56 | 4065 | 4365.22 | 4584 | 4202.29 |
| मणिपुर | 141 | 470 | 347.26 | 500 | 639.84 | 448 | 580.41 |
| मेघालय | 332 | 933 | 797.3 | 1131 | 981.61 | 775 | 774.77 |
| नागालैंड | 75 | 216 | 157.63 | 227 | 245.71 | 227 | 213.34 |
| त्रिपुरा | 980.1 | 2356 | 3186.12 | 2145 | 2366.49 | 1375 | 1424.96 |
| भूटान (आयात) | 0 | 4528 | 4935.88 | 4800 | 5597.9 | 5480 | 4794.5 |

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 630 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

**विद्युत स्टेशन बस बारों में अखिल भारतीय और राज्य-वार/यूटी वार
विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (केवल यूटिलिटियां)**

(मिलियन यूनिट में)

| राज्य/यूटी | 12वीं योजना | | 13वीं योजना | | | | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| दिल्ली | 35151 | 37529 | 40176 | 43023 | 46085 | 49382 | 52930 |
| हरियाणा | 51991 | 56681 | 60725 | 64820 | 69108 | 73688 | 78586 |
| हिमाचल प्रदेश | 10381 | 10901 | 11546 | 12228 | 12948 | 13710 | 14514 |
| जम्मू व कश्मीर | 15351 | 16298 | 17180 | 18172 | 19282 | 20516 | 21884 |
| पंजाब | 64031 | 69410 | 73032 | 76245 | 79626 | 83186 | 86941 |
| राजस्थान | 71339 | 77907 | 83914 | 89792 | 96149 | 103030 | 110483 |
| उत्तर प्रदेश | 123906 | 138854 | 152571 | 164997 | 178488 | 193136 | 209046 |
| उत्तराखण्ड | 12174 | 12751 | 13466 | 14223 | 15025 | 15874 | 16774 |
| चंडीगढ़ | 2058 | 2165 | 2286 | 2414 | 2549 | 2692 | 2842 |
| उत्तरी क्षेत्र | 386382 | 422498 | 454897 | 485914 | 519260 | 555214 | 594000 |
| गोवा | 4518 | 4853 | 5205 | 5573 | 5966 | 6386 | 6837 |
| गुजरात | 100977 | 108704 | 116649 | 124937 | 133825 | 143360 | 153582 |
| छत्तीसगढ़ | 22448 | 24222 | 25989 | 27833 | 29743 | 31850 | 34106 |
| मध्य प्रदेश | 71099 | 77953 | 83988 | 89152 | 94699 | 100657 | 107060 |
| महाराष्ट्र | 155276 | 169353 | 175870 | 187034 | 199001 | 211836 | 225606 |
| दादर नागर हवेली | 5924 | 6286 | 6665 | 7064 | 7488 | 7937 | 8413 |
| दमन एवं दीव | 2659 | 2817 | 2976 | 3143 | 3320 | 3508 | 3706 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 362901 | 394188 | 417342 | 444735 | 474042 | 505534 | 539310 |
| आंध्र प्रदेश | 119318 | 129767 | 140324 | 151743 | 164093 | 177454 | 191912 |
| कर्नाटक | 73278 | 78637 | 83917 | 89285 | 95059 | 101309 | 108012 |
| केरल | 24975 | 26584 | 28080 | 29595 | 31198 | 32895 | 34691 |
| तमिलनाडु | 110698 | 119251 | 128177 | 137815 | 148237 | 159475 | 171718 |
| पुडुचेरी | 3425 | 3586 | 3755 | 3929 | 4109 | 4295 | 4452 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 331693 | 357826 | 384252 | 412367 | 442696 | 475426 | 510786 |
| बिहार | 26299 | 29447 | 32964 | 36982 | 41590 | 46883 | 52975 |
| झारखण्ड | 25990 | 27691 | 29592 | 31381 | 33287 | 35318 | 37482 |
| ओडिशा | 34687 | 35772 | 36999 | 38262 | 39667 | 41089 | 42566 |
| पश्चिम बंगाल | 64198 | 70352 | 76511 | 82571 | 89033 | 95927 | 103283 |
| सिक्किम | 494 | 528 | 544 | 581 | 601 | 622 | 645 |
| पूर्वी क्षेत्र | 151668 | 163790 | 176611 | 189777 | 204178 | 219839 | 236952 |
| असम | 8413 | 8947 | 9615 | 10313 | 11058 | 11852 | 12699 |
| मणिपुर | 1080 | 1241 | 1405 | 1571 | 1760 | 1975 | 2219 |
| मेघालय | 2143 | 2243 | 2396 | 2553 | 2678 | 2794 | 3029 |
| नागालैंड | 789 | 834 | 895 | 954 | 1019 | 1088 | 1163 |
| त्रिपुरा | 1290 | 1402 | 1514 | 1628 | 1751 | 1883 | 2026 |
| अरुणाचल प्रदेश | 521 | 552 | 580 | 611 | 644 | 681 | 721 |
| मिजोरम | 808 | 936 | 1031 | 1112 | 1196 | 1287 | 1388 |
| पूर्वांचल क्षेत्र | 15044 | 16154 | 17435 | 18743 | 20106 | 21560 | 23244 |
| अंडमान एवं निकोबार | 343 | 366 | 390 | 415 | 443 | 473 | 505 |
| लक्षद्वीप | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| अखिल भारत | 1248081 | 1354874 | 1450982 | 1552008 | 1660783 | 1778109 | 1904861 |

विद्युत स्टेशन बस बारों में अखिल भारतीय और राज्य-वार/यूटी वार
व्यस्ततम विद्युत भार (केवल यूटिलिटियां)

(मेगावाट में)

| राज्य/यूटी | 12वीं योजना | | 13वीं योजना | | | | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| दिल्ली | 6029 | 6398 | 6849 | 7335 | 7857 | 8419 | 9024 |
| हरियाणा | 9349 | 10273 | 11006 | 11749 | 12526 | 13356 | 14244 |
| हिमाचल प्रदेश | 1769 | 1900 | 2022 | 2151 | 2288 | 2434 | 2589 |
| जम्मू व कश्मीर | 2460 | 2687 | 2917 | 3180 | 3481 | 3825 | 4217 |
| पंजाब | 11421 | 12342 | 12826 | 13228 | 13648 | 14089 | 14552 |
| राजस्थान | 12472 | 13886 | 14957 | 16004 | 17137 | 18364 | 19692 |
| उत्तर प्रदेश | 20498 | 23081 | 25547 | 27832 | 30331 | 33067 | 36061 |
| उत्तराखण्ड | 2087 | 2189 | 2315 | 2449 | 2591 | 2742 | 2901 |
| चंडीगढ़ | 406 | 426 | 450 | 475 | 501 | 529 | 559 |
| उत्तरी क्षेत्र | 55362 | 60934 | 65686 | 70276 | 75238 | 80620 | 86461 |
| गोवा | 748 | 815 | 880 | 949 | 1024 | 1105 | 1192 |
| गुजरात | 17122 | 19091 | 20486 | 21942 | 23503 | 25177 | 26973 |
| छत्तीसगढ़ | 4343 | 4687 | 5028 | 5385 | 5755 | 6162 | 6599 |
| मध्य प्रदेश | 12682 | 13904 | 14934 | 15803 | 16734 | 17732 | 18802 |
| महाराष्ट्र | 25693 | 28645 | 29983 | 32122 | 34431 | 36926 | 39622 |
| दादर नागर हवेली | 872 | 944 | 1006 | 1072 | 1142 | 1217 | 1297 |
| दमन एवं दीव | 410 | 441 | 469 | 500 | 533 | 567 | 605 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 55991 | 62015 | 65871 | 70383 | 75223 | 80441 | 86054 |
| आंध्र प्रदेश | 20452 | 22445 | 24271 | 26246 | 28382 | 30693 | 33194 |
| कर्नाटक | 12036 | 13010 | 13964 | 14945 | 16005 | 17159 | 18403 |
| केरल | 4386 | 4669 | 4931 | 5198 | 5479 | 5777 | 6093 |
| तमिलनाडु | 19323 | 20816 | 22375 | 24057 | 25876 | 27838 | 29975 |
| पुडुचेरी | 601 | 630 | 659 | 690 | 722 | 754 | 782 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 52787 | 57221 | 61525 | 66111 | 71063 | 76413 | 82199 |
| बिहार | 4352 | 5018 | 5660 | 6398 | 7250 | 8236 | 9306 |
| झारखण्ड | 4301 | 4616 | 4948 | 5262 | 5598 | 5957 | 6341 |
| ओडिशा | 5500 | 5672 | 5866 | 6066 | 6289 | 6515 | 6749 |
| पश्चिम बंगाल | 10699 | 11793 | 12882 | 13964 | 15124 | 16369 | 17703 |
| सिक्किम | 135 | 144 | 148 | 159 | 164 | 170 | 176 |
| पूर्वी क्षेत्र | 22289 | 24303 | 26320 | 28411 | 30710 | 33226 | 35928 |
| असम | 1715 | 1817 | 1946 | 2080 | 2222 | 2373 | 2534 |
| मणिपुर | 301 | 346 | 373 | 399 | 428 | 460 | 497 |
| मेघालय | 425 | 445 | 475 | 505 | 529 | 551 | 596 |
| नागालैंड | 173 | 185 | 201 | 216 | 233 | 251 | 271 |
| त्रिपुरा | 317 | 340 | 365 | 389 | 415 | 442 | 472 |
| अरुणाचल प्रदेश | 122 | 135 | 142 | 150 | 158 | 167 | 177 |
| मिजोरम | 253 | 285 | 302 | 314 | 325 | 338 | 352 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 2763 | 2966 | 3169 | 3370 | 3579 | 3800 | 4056 |
| अंडमान एवं निकोबार | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
| लक्षद्वीप | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| अखिल भारत | 181988 | 199540 | 214093 | 229465 | 246068 | 264041 | 283470 |

लोक सभा में दिनांक 26.02.2015 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 630 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| 2011-12 से 2014-15 तक (अप्रैल, 2014-जनवरी, 2015) केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से व्यस्ततम मांग और कुल आबंटन (व्यस्ततम अवधि के दौरान) | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | व्यस्ततम मांग | सीजीएस से आबंटन |
| राज्य/सिस्टम/क्षेत्र | 2011-12 | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार | 2012-13 | 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार | 2013-14 | 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार | 2014-15* | 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार |
| | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) |
| चंडीगढ़ | 263 | 204 | 340 | 211 | 345 | 176 | 367 | 173 |
| दिल्ली | 5,031 | 3,897 | 5,942 | 4,232 | 6,035 | 4,518 | 6,006 | 3,725 |
| हरियाणा | 6,533 | 1,945 | 7,432 | 2,224 | 8,114 | 2,499 | 9,152 | 2,560 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,397 | 1,156 | 2,116 | 1,219 | 1,561 | 1,244 | 1,417 | 1,344 |
| जम्मू व कश्मीर | 2,385 | 1,603 | 2,422 | 1,700 | 2,500 | 1,916 | 2,554 | 2,069 |
| पंजाब | 10,471 | 2,045 | 11,520 | 2,113 | 10,089 | 2,303 | 11,534 | 2,305 |
| राजस्थान | 8,188 | 2,374 | 8,940 | 2,831 | 10,047 | 2,922 | 10,642 | 3,000 |
| उत्तर प्रदेश | 12,038 | 5,520 | 13,940 | 5,779 | 13,089 | 6,132 | 15,670 | 6,329 |
| उत्तराखण्ड | 1,612 | 796 | 1,759 | 844 | 1,826 | 938 | 1,930 | 926 |
| छत्तीसगढ़ | 3,239 | 805 | 3,271 | 1,127 | 3,365 | 1,189 | 3,480 | 1,214 |
| गुजरात | 10,951 | 2,768 | 11,999 | 3,368 | 12,201 | 3,608 | 13,603 | 3,608 |
| मध्य प्रदेश | 9,151 | 2,553 | 10,077 | 4,527 | 9,716 | 4,742 | 9,755 | 4,767 |
| महाराष्ट्र | 21,069 | 3,853 | 17,934 | 6,781 | 19,276 | 7,027 | 20,147 | 6,987 |
| दमन एवं दीव | 301 | 165 | 311 | 319 | 322 | 322 | 297 | 320 |
| दादर नागर हवेली | 615 | 566 | 629 | 906 | 661 | 930 | 688 | 893 |
| गोवा | 527 | 444 | 524 | 491 | 529 | 502 | 501 | 522 |
| आंध्र प्रदेश | 14,054 | 3,306 | 14,582 | 3,675 | 14,072 | 3,697 | 7,144 | 1,905 |
| तेलंगाना* | | | | | | | 7,884 | 2,092 |
| कर्नाटक | 10,545 | 1,672 | 10,124 | 1,810 | 9,940 | 1,895 | 10,001 | 1,897 |
| केरल | 3,516 | 1,626 | 3,578 | 1,633 | 3,671 | 1,639 | 3,760 | 1,716 |
| तमिलनाडु | 12,813 | 3,282 | 12,736 | 3,766 | 13,522 | 4,097 | 13,663 | 4,096 |
| पुडुचेरी | 335 | 394 | 348 | 396 | 351 | 387 | 389 | 386 |
| बिहार | 2,031 | 1,742 | 2,295 | 1,802 | 2,465 | 1,918 | 2,992 | 2,864 |
| डीवीसी** | 2,318 | 168 | 2,573 | 5,990 | 2,745 | 6,018 | 2,653 | 6,018 |
| झारखण्ड | 1,030 | 526 | 1,263 | 562 | 1,111 | 537 | 1,101 | 584 |
| ओडिशा | 3,589 | 1,544 | 3,968 | 1,705 | 3,727 | 1,702 | 3,814 | 1,750 |
| पश्चिम बंगाल | 6,592 | 1,225 | 7,322 | 1,403 | 7,325 | 1,548 | 7,544 | 1,548 |
| सिक्किम | 100 | 149 | 95 | 150 | 90 | 149 | 83 | 159 |
| अरुणाचल प्रदेश | 121 | 134 | 116 | 134 | 125 | 133 | 139 | 133 |
| असम | 1,112 | 721 | 1,197 | 746 | 1,329 | 727 | 1,450 | 777 |
| मणिपुर | 116 | 123 | 122 | 123 | 134 | 123 | 150 | 123 |
| मेघालय | 319 | 212 | 334 | 212 | 343 | 205 | 370 | 205 |
| मिजोरम | 82 | 74 | 75 | 74 | 84 | 74 | 90 | 74 |
| नागालैंड | 111 | 80 | 110 | 80 | 109 | 79 | 140 | 79 |
| त्रिपुरा | 215 | 105 | 229 | 105 | 254 | 105 | 310 | 105 |

* अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए अनंतिम।

** 2011-12 के दौरान आबंटन के लिए डीवीसी के आंकड़ों में उनके अपने स्टेशनों से डीवीसी क्षेत्र के लिए निर्धारित विद्युत शामिल नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संघीय आंकड़े अविभाजित आंध्र प्रदेश के जून, 2014 से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजन के पश्चात जून, 2014 से दिए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-653

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत जांच निदेशालयों (एसईआई) द्वारा
परीक्षण और निरीक्षण

653. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित राज्यों में विभिन्न विद्युतीय उपकरणों के परीक्षण और निरीक्षण हेतु राज्य विद्युत जांच निदेशालयों (एसईआई) द्वारा लगाए गए शुल्क संबंधी मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 दिसंबर, 2014 को विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में निहित विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 में किए गए संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत संस्थापनों पर राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण प्रभार लगाने से संबंधित प्रावधान भी शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-654

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा विदेशों में विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण

654. श्री बी. वी. नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों के वैश्विक विकास को देखते हुए देश में विद्युत की उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से अभियांत्रिकी अभिकल्पनाओं के उन्नयन की संभावनाओं को तलाशने के लिए कोई निर्धारित कार्य-दल गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या प्रचलित प्रणाली के माध्यम की बजाय एनटीपीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ईंधन (कोयला) का आयात एक किफायती विकल्प साबित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एनटीपीसी ने यूरोप, आस्ट्रेलिया इत्यादि में ऐसे विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण किया है जहां पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंच रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या विदेशों में खानों के स्वामित्व का पुनः अभिमुखीकरण किया जाएगा और लागत को कम करने के उपाय की ओर लक्षित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ऐसा कोई कार्य दल गठित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए लागत की एक उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आर एंड डी परियोजना का अनुमोदन किया गया है जिसमें ताप उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए भेल, एनटीपीसी और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) शामिल है।

(ख) : प्रचलित प्रणाली के अनुसार, एनटीपीसी सीधे कोयले का आयात कर रही है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-681

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की बोलियों को रद्द किये जाने हेतु

681. श्रीमती के. मरगथमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा उठाये गये वित्तपोषण के मुद्दों तथा निजी क्षेत्र की धीमी प्रतिक्रिया के कारण ओडिशा तथा तमिलनाडु सहित देश में प्रस्तावित संयंत्रों हेतु बोलियों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्थिति की समीक्षा करने की मंशा है तथा इन परियोजनाओं की निविदा के समय अंगीकार की गई पद्धति का पता लगाने हेतु दस्तावेजों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : सरकार ने ओडिशा में बेडाबहल और तमिलनाडु में चेय्यूर में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) के लिए बोलियों को रद्द कर दिया है।

(ग) और (घ) : यूएमपीपी (मामला-2) के लिए लागू मानक/माडल बोली दस्तावेजों के लिए श्री प्रत्युश सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-682

जिसका उत्तर 26 फरवरी, 2015 को दिया जाना है।

दक्षिणी ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ना

682. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बड़े भाग में अचानक बिजली गुल हो जाने को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर दक्षिणी ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता राज्यों को कोई निदेश जारी किए गये हो कि विद्युत खपत को सीमा के भीतर बनाये जाए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाए जिससे देश के विभिन्न भागों में बिजली गुल हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 765 केवी रायचुर - सोलापुर पारेषण सर्किट-1 के चालू होने के 31 दिसंबर, 2013 को दक्षिणी क्षेत्र अन्य क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों से जुड़ गया, इसके साथ ही, वन नेशन-वन ग्रिड- वन फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य प्राप्त किया गया। यह लिंक 30 जून, 2014 को 765 केवी रायचुर-सोलापुर पारेषण लाइन की दूसरी सर्किट के चालू होने से और सुदृढ़ किया गया।

(ग) और (घ) : सभी उपभोक्ता राज्यों को इंडियन इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड के विनियमों तथा डेविेशन सेलटमेंट मकैनिज्म और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमाओं के भीतर ग्रिड से विद्युत निकासी को बनाए रखने से संबंधित मामलों के लिए पालन करना होगा।

इंडियन इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड (आईईजीसी) के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) द्वारा आईईजीसी के निरंतर/महत्वपूर्ण अनुपालन न किए जाने संबंधी आवधिक रिपोर्टें भी सीईआरसी को दी जाती हैं। सीईआरसी से संबंधित घटकों को अधिक निकासी को नियंत्रित करके तथा प्रभावी कोड प्रबंधन करके प्रणाली पैरामीटरों और ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी निदेश भी जारी किए हैं। सीईआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए घटकों द्वारा ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में भी कार्रवाई की है।
